उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन और उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन व प्रबन्धन के मध्य हुये पत्राचार/कार्यवृत्त का विवरण

क्र0	विवरण	पत्रांक/ दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जाने वाले सांकेतिक सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में श्री ठा0 प्रहलाद सिंह, मुख्य संयोजक को प्रेषित पत्र ।	पत्रांक–2469/निदे0(मा0सं0) दिनांक 22.07.2019	1–2
2.	उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जाने वाले सांकेतिक सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में ठा0 प्रहलाद सिंह, मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा का पत्र।	पत्रांक–133/ दिनांक 18.07. 2019	3–4
3.	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा की गयी आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र।	पत्रांक–2468/निदे0(मा0सं0) दिनांक 22.07.2019	5–7
4.	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा की गयी आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–291/उ0पा0जू0ई0ऐ0 दिनांक 20.07.2019	8–9
5.	17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच वार्ता का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र।	पत्रांक–2467/निदे0(मा0सं0) दिनांक 22.07.2019	6–7
6.	17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच वार्ता का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–288/उ0पा0जू0ई0ऐ0 दिनांक 19.07.2019	13
7.	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति व वरिष्ठता के सम्बन्ध में कमेटी का गठन।	पत्रांक–2465/निदे0(मा0सं0) दिनांक 22.07.2019	14
8.	दिनांक 24.06.2019 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इन्जीनियर्स एसोसिएशन के मध्य आयोजित वार्ता का कार्यवृत्त।	पत्रांक–147/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/ UPJEA दिनांक 19.07.2019	15–17
9.	अवर अभियन्ता संवर्ग द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे सांकेतिक सत्याग्रह के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–289/उ0पा0जू0ई0ऐ0 दिनांक 19.07.2019	18–20
10.	उत्तराखण्ड पावर जूनियर इन्जीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे अवैधानिक धरना प्रदर्शन/आन्दोलन के सम्बन्ध में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित पत्र।	पत्रांक–2415/निदे0(मा0सं0) दिनांक 18.07.2019	21–22
11	उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन के मध्य दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त।	पत्रांक–2411/निदे0(मा0सं0) दिनांक 18.07.2019	23–26
12	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन के मध्य दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त।	पत्रांक–2412/निदे0(मा0सं0) दिनांक 18.07.2019	27–31
13	उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–मेमो0/ दिनांक 17.07. 2019	32
14	प्रोन्नत एवं नव नियुक्त अवर अभियन्ता (वि0 एवं यां0) एवं सहायक अभियन्ताओं (वि0 एवं यां0) की ज्येष्ठा के सम्बन्ध में वार्ता हेतु उत्तरांचल पावर इन्जीनियर्स एसोसिएशन, एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र ।	पत्रांक–2358/निदे0(मा0सं0) दिनांक 16.07.2019	33–34
15	अवर अभियन्ता संवर्ग द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र।	पत्रांक–2348/निदे0(मा0सं0) दिनांक 16.07.2019	35–42

16	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति में अनावश्यक अडंगा लगाये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–3159/उ0पा0जू0ई0ऐ0 दिनांक 15.07.2019	43–44
17	अवर अभियन्ता संवर्ग के साथ किये जा रहे पक्षपात एवं उत्पीडन के विरोध में आन्दोलन की सूचना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–3158/उ0पा0जू0ई0ऐ0 दिनांक 05.07.2019	45–46
18	मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित वाद संख्या 01/NB/DB/2017 (राहुल चानना बनाम यू0पी0सी0एल0) में दिनांक 22.05.2019 को पारित आदेश के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।	पत्रांक–52/महासचिव/UPEA 2018 दिनांक 11.07.2019	47–48
19	श्री आई0पी0 गैरोला, अधिवक्ता का पत्र।	पत्र दिनांक 12.07.2019	49–50

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक २५६१/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांकः २२-07-2019

विषय: उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जाने वाले सांकेतिक सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में।

श्री ठा0 प्रहलाद सिंह,
मुख्य संयोजक,
उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा,
(राजकीय विभाग, शिक्षक, सार्वजनिक निगम, निकाय, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं का समन्वित मंच)
देहरादून।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 133, दिनांक 18.07.19 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के आन्दोलन नोटिस संख्या 3158, दिनांक 05.07.2019 के क्रम में आन्दोलन कार्यक्रम को पूर्ण सर्मथन देते हुए इंगित किया है कि निगम प्रबन्धन द्वारा उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन की मांगों पर कार्यवाही नहीं की गयी तो मोर्चा को उपरोक्त आन्दोलन को प्रदेश व्यापी स्वरूप देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 18.07.2019 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन द्वारा आपको पूर्ण तथ्य से अवगत नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में आपको निम्न तथ्य से अवगत कराना है कि :-

1. उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के आन्दोलन नोटिस संख्या 3158, दिनांक 05.07.2019 के सन्दर्भ में कारपोरेशन के पत्रांक-2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन के आन्दोलन नोटिस में इंगित किये गये कथन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए एसोसिएशन के संज्ञान में लाया गया था कि एसोसिएशन द्वारा प्रेषित आन्दोलन नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुसार अवैधानिक होने के साथ-साथ स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध के विरूद्ध भी है तथा उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन से अनुरोध किया गया था कि कृपया दिनांक 11.07.2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किए जा रहे अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

2. प्रबन्धन द्वारा औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से कारपोरेशन पत्रांक-2358/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 16.07.2019 से उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन एंव उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने दो-दो प्रतिनिधियों सहित दिनांक 17.07.2019 को अपराहन 4:30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता में हो रहे पारस्परिक विवादों के समाधान पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था किन्तु उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन से संयुक्त रूप से वार्ता करने के स्थान पर अलग से वार्ता किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए प्रबन्धन द्वारा दोनों एसोसिएशनों के साथ अलग-अलग वार्ता भी की गयी।

   दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता में प्रबन्धन द्वारा उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन के पदाधिकारियों से पदोन्नति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी थी तथा अवगत कराया गया गया था कि अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न वाद माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण में लम्बित/निर्णित है। माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित/अन्तरिम आदेश के अनुपालन में वर्तमान में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है, जिस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विश्लेषण किया जाना आवश्यकीय है :-

क्रमशः- 02

(2)

1. मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा क्लेम पिटीशन सं0–01/NB/DB/2017 (राहुल चानना व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये:–

"The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioner in accordance with provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken"

2. माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या 20/2009 उपाकालि बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य में दिये गये निर्णय के उपरान्त निर्गत अन्नतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों की भी समीक्षा की जानी है।

3. कारपोरेशन द्वारा दायर याचिका सं0 470/2016 उपाकालि बनाम बी0एम0 भटट व अन्य में दायर याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 13.12.2017 में दिये गयें अन्तरिम आदेश में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की प्रशिक्षण अवधि को घटाते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देशों की समरूपता में अवर अभियन्ताओं का भी प्रशिक्षण अवधि को भी घटाते हुए वरिष्ठता निर्धारित किया जाना है।

4. याचिका संख्या–875/2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.04.2019 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है।

इस प्रकार दोनों एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के उचित निस्तारण हेतु प्रकरण विस्तृत रूप से परीक्षण के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की समिति को प्रस्तुत करने की सहमति बनी थी, जिसके क्रम में कारपोरेशन ज्ञाप संख्या 2465–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 22.07.2019 के द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों की कमेटी गठित कर दी गयी है।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रबन्धन अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सकारात्मक रूख से कार्यवाही कर रहा है, जिसके उपरान्त भी उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन पर अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से कारपोरेशन मुख्यालय पर किये जा रहे अवैधानिक धरना/प्रदर्शन किया जाना स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों के पूर्णतः विपरीत है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने स्तर से उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन को समझाने का कष्ट करें कि कारपोरेशन पर अनावश्यक दबाव बनाने के स्थान पर कारपोरेशन स्तर से की जा रही कार्यवाही में सहयोग करते हुए कारपोरेशन मुख्यालय पर किये जा रहे अवैधानिक धरना/प्रदर्शन को तत्काल समाप्त करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण पर यथोचत निर्णय लेते हुए कार्यवाही सम्भव हो सके तथा सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को 24 X 7 विद्युत आपूर्ति की जा सके।

भवदीय

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

पत्रांक २५६९ /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, को सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
2. सीनियर एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन/मानव संसाधन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

22.07.19

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

सत्य! सर्वदा!! सर्वत्र!!!

उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा

(राजकीय विभाग, शिक्षक, सार्वजनिक निगम, निकाय, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं का समन्वित मंच)

— पृष्ठ-1 —

पत्रांक 133 दिनांक 18.07.19

No. 7515 / MD/ U1 Dt. 22/7/2019

डायरी सं० 4917
दिनांक 22/07/19

प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि,
वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड़, देहरादून।

विषयः— उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन द्वारा किये जाने वाले सॉकेतिक सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन के आन्दोलन नोटिस सं0— 3158 दिनांक 05.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से ऐसोसिएशन द्वारा अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं पद पर पदोन्नति न किये जाने पर रोष व्यक्त किया है एवं बार—बार आश्वासनों एवं वार्ताओं के पश्चात् भी निगम प्रबन्धन द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत न किये जाने पर दिनांक 11.07.2019 से शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक सॉकेतिक सत्याग्रह किया जा रहा है।

उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन लगातार संवाद के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहा है। निगम प्रबन्धन द्वारा दिनांक 16.10.2018 को एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं पद पर पदोन्नति हेतु आश्वस्त किया था, परन्तु सोचनीय विषय है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी निगम प्रबन्धन द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत नही किये गये हैं। पदोन्नति विषयक माननीय अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0— 150/XXX(2)2019-30(8)/19 दिनांक 30-05-2019 के माध्यम से समस्त विभागों में पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे साथ में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी सचिव समिति की बैठक में लम्बित पदोन्नति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु निगम प्रबन्धन द्वारा सरकार/शासन के स्पष्ट दिशा—निर्देशों के पश्चात् भी डी0पी0सी0 न किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि निगम प्रबन्धन के सामने शासन के आदेशों का भी कोई महत्व नही है, तथा निगम प्रबन्धन जानबूझकर कार्मिकों को आन्दोलन हेतु बाध्य कर रहा है।

उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा का घटक संगठन है एवं मोर्चा अपने घटक संगठनों की जायज मांगों को सरकार/शासन के सामने उठाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं उपरोक्त सॉकेतिक आन्दोलन कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करता है मोर्चा हमेशा वार्ता के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर विश्वास रखता है परन्तु यदि शीघ्र ही निगम प्रबन्धन द्वारा उ0पा0जू0ई0 एसोसिएशन की मांगों पर कार्यवाही नही की गयी तो मोर्चा को उपरोक्त आन्दोलन को प्रदेश व्यापी स्वरूप देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अतः आप से अनुरोध है कि कृपया तत्काल पदोन्नति के रिक्त पदों पर डी0पी0सी0 कराकर पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे कार्यरत कार्मिकों का उत्पीड़न न हो एवं औधौगिक शान्ति बनी रहे।

परम आदर सहित

(ठा0 प्रहलाद सिंह)
मुख्य संयोजक

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्रभारी)
उप मुख्य का०अधि०(अ०स०)/(मा०स०-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी/सु० कोमल सहा०अभि०
सहा० लेखाधिकारी (मा०स०)
श्री सुमित/श्री राजेश का०अधि०
कैम्प कार्या०-निदे०(मा०स०)
कृपया दि०.........को.....बजे चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
निदेशक (मा०सं०)

Rec on 22/7/19

क्रमशः पृष्ठ-2

सत्य! सर्वदा!! सर्वत्र!!!

उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा

(राजकीय विभाग, शिक्षक, सार्वजनिक निगम, निकाय, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं का समन्वित मंच)

पत्रांक.......................... 506-2. दिनांक ....

प्रतिलिपि निम्न को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तत्काल निष्पक्ष कार्यवाही हेतु प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें:—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. अपर मुंख्य सचिव (कार्मिक), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।

(ठा0 प्रहलाद सिंह)
मुख्य संयोजक

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक २५६८/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक: २२-07-2019

विषय: अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एंव सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा की गयी आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा के सम्बन्ध में।

केन्द्रीय महासचिव,
उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन,
विकास सदन, 132 के0वी0 सबस्टेशन माजरा,
देहरादून।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 291/उ0पा0जू0ई0ऐ0/दे0दून दिनांक 20.7.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा अपनी एसोसिएशन के आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा की गयी है।

इस सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्रांक-2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन नोटिस में इंगित किये गये कथन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए संज्ञान में लाया गया था कि आपके द्वारा प्रेषित आन्दोलन नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुसार अवैधानिक होने के साथ-साथ स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध के विरूद्ध भी है तथा आपसे अनुरोध किया गया था कि कृपया अपनी एसोसिएशन के दिनांक 11.07.2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किए जा रहे अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

आपको यह भी अनुस्मरण कराना है कि प्रबन्धन द्वारा औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से कारपोरेशन पत्रांक-2358/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 16.07.2019 से आपकी एसोसिएशन एंव उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने दो-दो प्रतिनिधियों सहित दिनांक 17.07.2019 को अपराहन 4:30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता में हो रहे पारस्परिक विवादों के समाधान पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में आपकी एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन के अनुरोध पर संयुक्त रूप से वार्ता करने के स्थान पर अलग से वार्ता किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए प्रबन्धन द्वारा दोनों एसोसिएशनों के साथ अलग-अलग वार्ता की गयी।

जैसा कि दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता में प्रबन्धन द्वारा आप एवं आपकी एसोसिएशन के उपस्थित पदाधिकारियों को पदोन्नति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी थी, तथा जिसमें अवगत कराया गया कि अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न वाद माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण में लम्बित/निर्णित है। माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित/अन्तरिम आदेश के अनुपालन में वर्तमान में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है, जिस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विश्लेषण किया जाना आवश्यकीय है :-

1. मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा क्लेम पिटीशन सं0-01/NB/DB/2017 (राहुल चानना व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निम्न आदेश पारित किये गयेः-

"The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioner in accordance with provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken"

क्रमशः- 02

2. माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या 20/2009 उपाकालि बनाम राकेश ई एवं अन्य में दिये गये निर्णय के उपरान्त निर्गत अन्नतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों की भी समीक्षा की जानी है।

3. कारपोरेशन द्वारा दायर याचिका सं0 470/2016 उपाकालि बनाम बी0एम0 भटट व अन्य में दायर याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 13.12.2017 में दिये गये अन्तरिम आदेश में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की प्रशिक्षण अवधि को घटाते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देशों की समरूपता में अवर अभियन्ताओं का भी प्रशिक्षण अवधि को भी घटाते हुए वरिष्ठता निर्धारित किया जाना है।

4. याचिका संख्या–875/2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.04.2019 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है।

इस प्रकार दोनों एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के उचित निस्तारण हेतु प्रकरण विस्तृत रूप से परीक्षण के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की समिति को प्रस्तुत करने की सहमति बनी थी, जिसके क्रम में कारपोरेशन ज्ञाप संख्या 2465–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 22.07.2019 के द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों की कमेटी गठित कर दी गयी है। उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजिनियर्स एसोसिएशन के साथ निगम प्रबन्धन की हुई वार्ता का कार्यवृत्त कारपोरेशन पत्रांक 2411–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 18.07.2019 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रबन्धन अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सकारात्मक रूख से कार्यवाही कर रहा है, जिसके उपरान्त भी आपके द्वारा कारपोरेशन पर अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से कारपोरेशन मुख्यालय पर किये जा रहे अवैधानिक धरना/प्रदर्शन के क्रम में आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा का नोटिस प्रेषित किया जाना स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों के पूर्णतः विपरीत है। इस सम्बन्ध में जैसा कि पत्रांक–2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 से आपको पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है कि आपके द्वारा प्रेषित आन्दोलन नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुसार अवैधानिक है। साथ ही अवैधानिक आन्दोलन/धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करने वाले सम्बन्धित कार्मिकों पर "काम नही तो वेतन नहीं" का सिद्धान्त भी लागू है।

जैसा कि आप एवं आपकी एसोसिएशन के समस्त सदस्य अवगत हैं कि कारपोरेशन का कार्य अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है, जिस कारण कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के प्राविधान लागू होते हैं। साथ ही सूच्य है कि कारपोरेशन का कार्य सम्मानित विद्युत उपभोक्ता को 24 X 7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वर्तमान में बरसात का मौसम है, जिस कारण विद्युत लाईनों के अनुरक्षण का कार्य अपेक्षाकृत अत्यधिक हो जाता है। इस स्थिति में आपकी एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन किया जाना प्रदेश के साथ–साथ राज्य के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं की जनभावनाओं के विरूद्ध भी है। सूच्य है कि कारपोरेशन का कार्य अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है, जिससे चिकित्सा, पेयजल इत्यादि जनहित के विभाग सीधे जुड़े हैं, अगर आपकी एसोसिएशन द्वारा किये जा रहे अवैधानिक आन्दोलन/धरना–प्रदर्शन के कारण किसी भी प्रकार जनहानि होती है तो इसको सीधे तौर पर सरकारी कार्यों में बाधा मानते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी कार्मिक एवं आपकी एसोसिएशन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जायेगी, जिसके लिए आपकी एसोसिएशन एवं सम्बन्धित कार्मिक पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः कारपोरेशन के पत्रांक–2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपनी एसोसिएशन के दिनांक 11.07.2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किए जा रहे अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम तथा एसोसिएशन के पत्रांक 291/उ0पा0जू0ई0ऐ0/ दिनांक 20.07.2019 के माध्यम से दिए गए आन्दोलन के अगले चरण के नोटिस को तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण

क्रमशः– 03

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 0135–2763672–75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135 -2769771

वातावरण बना रहे, अन्यथा की स्थिति में आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उक्त संदर्भित प्राविधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 की अवहेलना मानते हुए आपकी एसोसिएशन एवं सदस्यों के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कारपोरेशन को बाध्य होना पडेगा, जिसके लिए आप एवं आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारी/सदस्य स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

भवदीय,

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

पत्रांक 2568 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन/मानव संसाधन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

22.07.19

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

8

एकता | विकास | संघर्ष

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

विकास सदन, 132के0वी0 सबस्टेशन माजरा, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या–277
अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्ध

पत्रांक– 291 /उ0पा0जू0ई0ऐ0/दे0दून | दिनाँक– 20.07.2019

No. 7527 / MD/ Dt. 22/7/2019

विषयः–अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा।

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0
वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड़,
देहरादून,

डायरी सं. 4915
दिनांक 22/7/19

प्र.नि. 22/7/19

महोदय,

आपको विदित है कि उपरोक्त विषयक पदोन्नति की मांग पर दिनांक–11.07.2019 से उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन का ऊर्जा भवन पर सांय 05:30 से सांय 07:30 तक लोकतांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा है। प्रबन्धन की अब तक की भूमिका से निर्णयहीनता की स्थिति परिलक्षित होती है तथा अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति को दूसरे संगठन/ऐसोसिएशन के अनावश्यक हस्तक्षेप की आड़ में रोका जाना कतई उचित नहीं है।

क्योंकि निगम प्रबंधन ने आज दिनांक–20.07.2019 तक भी प्रोन्नति के आदेश निर्गत नहीं किये हैं तथा रोज नये–नये बहाने बनाकर भविष्य में भी प्रोन्नति के आदेश निर्गत नहीं करने के संकेत दिये जा रहे हैं। अतः उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के सदस्यों ने विवश होकर दिनांक–20.07.2019 के सांय 07:30 बजे से सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त करते हुए आन्दोलन के अगले चरण असहयोग आन्दोलन को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निगम प्रबन्धन का होगा।

आन्दोलन का विवरण निम्नवत है:–

1. दिनांक–25.07.2019 से नियमानुसार कार्य आन्दोलन। नियमानुसार 08 घंटे की ड्यूटी के बाद मोबाइल ऑफ रखे जायेंगे।
2. कोई भी नियम विरूद्ध आदेश यदि किसी उच्च अधिकारी द्वारा दिये जाते हैं तो उसकी सूचना सम्बन्धित अवर अभियन्ता/अधिकारी द्वारा ऐसोसिएशन कार्यालय को दी जाएगी तथा ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा माननीय अध्यक्ष (उ0पा0का0लि0) के संज्ञान में लाया जाएगा।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि न्यायहित में निष्पक्ष होकर अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर अविलम्ब पदोन्नति आदेश निर्गत करने की कृपा करे, ताकि सौहाद्रपूर्ण वातावरण में ओद्यौगिक शांति कायम रहे।

परम आदर सहित।

भवदीय

(जे0सी0 पन्त)
केन्द्रीय महासचिव

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
महाप्रबन्धक (मा.स.)(प्रभारी)
उप मुख्य का.अधि.(औ.स.)/(मा.स.-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी/सु. कोमल सहा.अभि.
सहा. लेखाधिकारी (मा.स.)
श्री सुमित/श्री राजेश का.अधि.
कैम्प कार्या.-निदे.(मा.स.)
कृपया दि.........को.....बजे चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
निदेशक (मा.स.)

(९)

एकता | विकास | संघर्ष

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

विकास सदन, 132के0वी0 सबस्टेशन माजरा, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या–277

अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्ध

पत्रांक– **291** /उ0पा0जू0ई0ऐ0/दे0दून | दिनाँक– **20.07.2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषितः–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून (उत्तराखण्ड)।
2. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।
3. सचिव ऊर्जा महोदया, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।
4. निदेशक (मा0सं0), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड़ देहरादून।
5. अध्यक्ष/महासचिव, समस्त सहयोगी संगठन/ऐसोसिएशन, उत्तराखण्ड।

(जे0सी0 पन्त)
केन्द्रीय महासचिव

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 2567/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक:22-07-2019

विषयः 17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच वार्ता का कार्यवृत्त

केन्द्रीय अध्यक्ष,,
उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन,
विकास सदन, 132 के0वी0 सबस्टेशन माजरा,
देहरादून।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 288/उ0पा0जू0ई0ऐ0/दे0दून दिनांक 19.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वर्ष 2004-05 के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति आदेश शीघ्र पारित कराने हेतु अनुरोध करते हुए इंगित किया है कि अन्यथा की स्थिति में दिनांक 22.07.2019 से सत्याग्रह आन्दोलन असहयोग आन्दोलन के रूप में बदलने के लिए एसोसिएशन बाध्य होगा।

इस सम्बन्ध में जैसा कि कारपोरेशन के पत्रांक-2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन नोटिस में इंगित किये गये कथन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए संज्ञान में लाया गया था कि कि आपकी एसोसिएशन द्वारा प्रेषित आन्दोलन नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुसार अवैधानिक होने के साथ-साथ स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध के विरूद्ध भी है तथा आपकी एसोसिएशन से अनुरोध किया गया था कि कृपया एसोसिएशन द्वारा दिनांक 11.07.2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किए जा रहे अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

इस सम्बन्ध में आपको यह अवगत कराना है कि प्रबन्धन द्वारा औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से कारपोरेशन पत्रांक-2358/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 16.07.2019 से आपकी एसोसिएशन एंव उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने दो-दो प्रतिनिधियों सहित दिनांक 17.07.2019 को अपराहन 4:30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता में हो रहे पारस्परिक विवादों के समाधान पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में आपकी एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन के अनुरोध पर संयुक्त रूप से वार्ता करने के स्थान पर अलग से वार्ता किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए प्रबन्धन द्वारा दोनों एसोसिएशनों के साथ अलग-अलग वार्ता भी की गयी।

जैसा कि दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता में प्रबन्धन द्वारा आप एवं आपकी एसोसिएशन के उपस्थिति पदाधिकारियों से पदोन्नति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी थी तथा अवगत कराया गया गया था कि अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न वाद माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण में लम्बित/निर्णित है। माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित/अन्तरिम आदेश के अनुपालन में वर्तमान में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है, जिस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विश्लेषण किया जाना आवश्यकीय है :-

1. मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा क्लेम पिटीशन सं0-01/NB/DB/2017 (राहुल चाननां व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निम्न आदेश पारित किये गयेः-

   "The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioner in accordance with provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken"

2. माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या 20/2009 उपाकालि बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य में दिये गये निर्णय के उपरान्त निर्गत अन्नतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों की भी समीक्षा की जानी है।

3. कारपोरेशन द्वारा दायर याचिका सं0 470/2016 उपाकालि बनाम बी0एम0 भटट व अन्य में दायर याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 13.12.2017 में दिये गये अन्तरिम आदेश में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की प्रशिक्षण अवधि को घटाते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देशों की समरूपता में अवर अभियन्ताओं का भी प्रशिक्षण अवधि को भी घटाते हुए वरिष्ठता निर्धारित किया जाना है।

4. याचिका संख्या–875/2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.04.2019 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है।

इस प्रकार दोनों एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के उचित निस्तारण हेतु प्रकरण विस्तृत रूप से परीक्षण के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की समिति को प्रस्तुत करने की सहमति बनी थी, जिसके क्रम में कारपोरेशन ज्ञाप संख्या 2465–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 22.07.2019 के द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों की कमेटी गठित कर दी गयी है।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि प्रबन्धन अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सकारात्मक रूख से कार्यवाही कर रहा है, जिसके उपरान्त भी आपके द्वारा कारपोरेशन पर अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से कारपोरेशन मुख्यालय पर किये जा रहे अवैधानिक धरना/प्रदर्शन के क्रम में असहयोग आन्दोलन का नोटिस दिया जाना स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों के पूर्णतः विपरीत है। जिस हेतु आपसे अनुरोध है कि कारपोरेशन पर अनावश्यक दबाव बनाने के स्थान पर कारपोरेशन स्तर से की जा रही कार्यवाही में सहयोग करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण पर यथोचित निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जा सके।

इस सम्बन्ध में जैसा कि पत्रांक–2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक16.07.2019 से आपको पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है कि आपके द्वारा प्रेषित आन्दोलन नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुसार अवैधानिक है। साथ ही अवैधानिक आन्दोलन/धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करने वाले सम्बन्धित कार्मिकों पर "काम नही तो वेतन नहीं" का सिद्धान्त भी लागू है।

अतः कारपोरेशन के उपरोक्त पत्रांक–2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपनी एसोसिएशन के दिनांक 11.07.2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किए जा रहे अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, अन्यथा की स्थिति में आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उक्त संदर्भित प्राविधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 की अवहेलना मानते हुए आपकी एसोसिएशन एवं सदस्यों के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कारपोरेशन को बाध्य होना पडेगा, जिसके लिए आप एवं आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारी/सदस्य स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

भवदीय,

22.07.19

(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

क्रमशः– 03

पत्रांक 2567 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन/मानव संसाधन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

22.07.19

(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

(15)

एकता विकास संघर्ष

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

विकास सदन, 132के0वी0 सबस्टेशन माजरा, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या–277
अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्ध

पत्रांक– 288 /उ0पा0जू0ई0ऐ0/दे0दून दिनाँक–19.07.2019

No. 1565 / MD/ UH Dt. 22/7/2019

विषयः– 17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्ध एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के बीच वार्ता का कार्यवृत्त।

निदेशक (मा० सं०) को अनुमोदन

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन,
काँवली रोड़, देहरादून।

डायरी सं. 4914
दिनांक 22/7/19

प्र.नि.

परम आदरणीय,

आपके द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त की प्रति दिनांक 18.07.2019 को सायं 07 बजे प्राप्त हुई। कार्यवृत को पढ़ने के उपरान्त व विचारोपरान्त आप से अनुरोध करना है कि वर्ष 2004–05 के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति की जा सकती है। यह निर्विवादित है।

अतः आप से प्रार्थना है कि वर्ष 2004–05 के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति आदेश शीघ्र पारित करने की कृपा करें अन्यथा की स्थिति में दिनांक 22.07.2019 से सत्याग्रह आन्दोलन असहयोग आन्दोलन के रूप में बदलने के लिये ऐसोसिएशन को बाध्य होना पडेगा। जिसका उत्तरदायित्व प्रबन्ध का होगा।

परम आदर सहित,

भवदीय

19/7/19

(जी0एन0 कोठियाल)
केन्द्रीय अध्यक्ष

पत्रांक– 288 /उ0पा0जू0ई0ऐ0/दे0दून दिनाँक–19.07.2019

प्रतिलिपि निदेशक (मा0सं0) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह भवन, काँवली रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त प्रोन्नति आदेश पारित करने की कृपा करे।

(जी0एन0 कोठियाल)
केन्द्रीय अध्यक्ष

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
महाप्रबन्धक (मा.सं.)(प्रभारी)
उप मुख्य का.अधि.(औ.सं.)/(मा.सं.-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी/सु. कोमल सहा.अभि.
सहा. लेखाधिकारी (मा.सं.)
श्री सुमित/श्री राजेश का.अधि.
कैम्प कार्या.-निदे.(मा.सं.)
कृपया दि.......... को..... बजे चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें

22/7/19
निदेशक (मा.सं.)

Recd on 22/7/19
19/7/19

(१५)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक :-2465-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक-22/7/2019

कार्यालय ज्ञाप

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति व वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रबन्धन की उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोशिएशन व उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोशिएशन के साथ दिनांक 17.07.2019 को द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न हुई जिसमें उपाकालि में प्रचलित वरिष्ठता नियमावली व वरिष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों/अंतरिम आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोशिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोशिएशन तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के प्रबन्धन के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. निदेशक(परिचालन), उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
2. निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
3. निदेशक(परियोजना), उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
4. निदेशक(वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक(विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

उपर्युक्त विभागीय समिति इस सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित बिन्दुओं का माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधीकरण के सम्बन्धित आदेशों के आलोक में गहन परीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर अपनी आख्या प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेगी:-

1. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील सं0- 20/2009 उपाकालि एवं अन्य बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य में दिये गये निर्णय के उपरान्त निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 के विरूद्व प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रत्यावेदन देने वाले याचिगणों एवं सम्बन्धित कार्मिकों तथा उपाकालि के द्वारा अवर अभियन्ता की अन्तिम जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 में वर्णित प्रभावित होने वाले समस्त कार्मिकों को अपना पक्ष रखने/व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने के सम्बन्ध में।
2. उपाकालि के द्वारा दायर रिट याचिका सं0 470/2016 उपाकालि बनाम बी0एम0 भट्ट व अन्य में दायर याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 13.12.2017 में दिये गये अन्तरिम आदेश में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की प्रशिक्षण अवधि को घटाते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देशों की समरूपता में अवर अभियन्ताओं का भी प्रशिक्षण अवधि को घटाते हुए वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार/निर्णय।
3. याचिका संख्या-875/2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.04.2019 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में जिसका समय बीत गया है। उक्त के सम्बन्ध में याचिकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिये गये नोटिस दिनांक 12.07.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नोटिस जारी करने की तिथि दिनांक 12.07.2019 से 15 दिनों के भीतर मा0 न्यायालय के दिये गये आदेश दिनांक 24.05.2019 के अनुपालन में उपाकालि द्वारा याचिकर्ताओं की वरिष्ठता सूची जारी नहीं करने पर मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल कर दी जायेगी, के सम्बन्ध में विचार/निर्णय।
4. अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता में प्रोन्नति 8.33% कोटा के सम्बन्ध में ऊर्जा के तीनों निगमों में समरूपता बनाये रखने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- -निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक-

प्रतिलिपि वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

पत्रांक :-2465-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/मा0सं0/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक(विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

22.07.19

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

(15)

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)

दूरभाष/ Phone-0135-2530030/2530007/2530584/2530909/2531975 फैक्स/ Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

Letter No: 147/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/UPJEA Dated:19/07/2019

विषयः दिनांक 24–06–2019 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इन्जीनियर्स एसोसिएशन के मध्य आयोजित वार्ता का कार्यवृत्त।

निदेशक(मा0सं0), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
निदेशक(मा0सं0), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।

कृपया दिनांक 24–06–2019 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इन्जीनियर्स एसोसिएशन के मध्य सम्पन्न वार्ता का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

निदेशक (मा०सं०) । No.7509./ MD/ U1 Dt.22/7/2019

प्र.अ.2 22/7/19

(राजेन्द्र सिंह) 19/07/19
महाप्रबन्धक(का0एवं औ0सं0)

प्रतिलिपिः

1– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि / यूजेवीएनलि / पिटकुल, देहरादून।
2– निदेशक (मा0सं0) / (परिचालन) / (परियोजनायें) / (वित्त), यूजेवीएन लि0, उज्जवल, देहरादून।
3– उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0) / (कार्मिक) / (प्रशि0एवंमा0नि0), यूजेवीएन लि0, देहरादून।
4– श्री जगदीश चन्द्र पन्त, केन्द्रीय महासचिव, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन, सरस्वती स्कूल के सामने, नई कालोनी, डाकपत्थर (देहरादून)।

डायरी सं. 4913
दिनांक 22/07/19

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
महाप्रबन्धक (मा.सं.)(प्रभारी)
उप मुख्य का.अधि.(औ.सं.)/(मा.सं.-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी/सु. कोमल सहा.अभि.
सहा. लेखाधिकारी (मा.सं.)
श्री सुमित/श्री राजेश का.अधि.
कैम्प कार्या.-निदे.(मा.सं.)
कृपया दि.........को......
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें

निदेशक (मा.सं.) 22/7/19

Recd on 22/7/19

22/7/19

(16)

दिनांक 24-06-2019 को तीनों ऊर्जा निगमों (यूजेवीएनलि, उपाकालि एवं पिटकुल) के प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इन्जीनियर्स एसोसिएशन के मध्य एसोसिएशन के मांग पत्र संख्या 3107, दिनांक 28-05-2019 पर वार्ता आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया:-

	तीनों निगमों के प्रबन्धन की ओर से		एसोसिएशन की ओर से
1-	श्री एस0एन0 वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनलि	1-	श्री जी0एन0 कोठियाल, केन्द्रीय अध्यक्ष
2-	डॉ0 ए0सी0 जोशी, निदेशक (मा0सं0), यूजेवीएनलि	2-	श्री जे0सी0 पन्त, केन्द्रीय महासचिव
3-	श्री पी0सी0 ध्यानी, निदेशक (मा0सं0), उपाकालि	3-	श्री आर0के0 जैन, केन्द्रीय वरि0 उपाध्यक्ष
4-	श्री अमिताभ मैत्रा, निदेशक (वित्त), पिटकुल	4-	श्री अरविन्द त्रिपाठी, प्रान्तीय अध्यक्ष
5-	श्री राजेन्द्र सिंह, महाप्रबन्धक(का0एवं औ0सं0), यूजेवीएनलि	5-	श्री चन्द शेखर, केन्द्रीय उपाध्यक्ष
6-	श्री के0बी0 चौबे, महाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0), उपाकालि	6-	श्री डी0एस0 गौड़, केन्द्रीय उपाध्यक्ष
7-	श्री ए0के0 जुयाल, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल	7-	श्री आर0एस0 नेगी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष
		8-	श्री आनन्द सिंह रावत, प्रा0 महासचिव
		9-	श्री रविन्द्र बालियान
		10-	श्री रविन्द्र कुमार सैनी
		11-	श्री विकास चौहान

वार्ता में मांग पत्र के निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

क0सं0	बिन्दु	लिये गये निर्णय/कथन
01	अवर अभियन्ताओं को 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800 दिया जाय।	ऊर्जा निगमों के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर बनाई गयी कमेटी में ऊर्जा निगमों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को रू0 4800 ग्रेड पे देयता हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभागों एवं अन्य निगमों के अवर अभियन्ताओं को देय ग्रेड पे का अध्ययन कर उनको ग्रेड पे अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।
02	उत्तराखण्ड शासन के शासकीय विभागों के अनुरूपता में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति कोटा 50+8.33 (बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 डिग्रीधारी अवर अभियन्ता) = 58.33 प्रतिशत किया जाय।	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु पदोन्नति कोटे को 40+8.33=48.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50+8.33=58.33 किये जाने के सम्बन्ध में यूजेवीएन लि0 के पूर्णकालिक निदेशकों की दिनांक 20-01-2017 में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग युक्ति संगत नहीं होने के दृष्टिगत अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कोटा पूर्व की भांति 40+8.33=48.33 प्रतिशत यथावत रखा जाय। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड के तीनों ऊर्जा निगमों द्वारा भी सहायक अभियन्ता के पद पर निर्धारित प्रोन्नति कोटा को यथावत रखने की संस्तुति की गयी है।
03	सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जायें।	यूजेवीएन लि0 में 01 अवर अभियन्ता (वि0एवं यॉ0) से सहायक अभियन्ता (वि0एवं यॉ0), 01 सहायक अभियन्ता (वि0एवं यॉ0) से अधिशासी अभियन्ता (वि0एवं यॉ0) एवं 03 सहायक अभियन्ता (जानपद) से अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के पदों पर प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पिटकुल में भी प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा उपाकालि में प्रोन्नति के परिपेक्ष्य में उचित निर्णय हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।
04	अवर अभियन्ताओं को 9 वर्ष, 14 वर्ष व 19 वर्ष की सेवा पर देय समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था को बहाल करते हुये 9 वर्ष में प्रथम ए सी पी सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान, 14 वर्ष में द्वितीय ए0सी0पी0 अधिशासी अभियन्ता के पद का वेतनमान, 19 वर्ष में तृतीय ए0सी0पी0 अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक के पद का वेतनमान बहाल किया जाय।	इस सम्बन्ध में उपाकालि, यूजेवीएनलि एवं पिटकुल के निदेशक मण्डल की क्रमशः दिनांक 19-06-2019, 20-06-2019 एवं दिनांक 21-06-2019 को आहूत बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, जिनके कार्यवृत्त प्रतीक्षित है।

(17)

05 अ–	30दिसम्बर 2005 तक सेवा में आये कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन एवं जी0पी0एफ0 की व्यवस्था प्रदान की जाय।	यूजेवीएनलि में निदेशक (वित्त) का पत्र संख्या 368, दिनांक 28.08.2017, एवं पत्र संख्या 349, दिनांक 11.08.2017 जो उत्तराखण्ड शासन,देहरादून को प्रेषित किया गया था, का पुनः संदर्भ ग्रहण करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल द्वारा ऊर्जा सचिव, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 13.12.2018 पत्र प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में तीनों निगमों के स्तर से उत्तराखण्ड शासन को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।
ब–	01–01–2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेशानुसार 01–01–2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किया जाय।	इस सम्बन्ध में उपाकालि, यूजेवीएनलि एवं पिटकुल के निदेशक मण्डल की क्रमशः दिनांक 19–06–2019, 20–06–2019 एवं दिनांक 21–06–2019 को आहूत बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, जिनके कार्यवृत्त प्रतीक्षित है।
स–	तीनों विद्युत निगमों के कार्मिकों के स्थानान्तरण एवं तैनाती की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाय।	तीनों ऊर्जा निगमों में कार्मिकों के स्थानान्तरण एवं तैनाती में पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी कि वर्तमान में ऊर्जा के तीनों निगमों में सेवा नियमावलियाँ, जिसमें स्थानान्तरण नीति भी सम्मिलित है, बनाये जाने का कार्य प्रकियाधीन है।

19/07/19
महाप्रबन्धक(का0एवं औ0सं0)

(18)

उत्तराखण्ड पॉवर जूनियर इंजिनियरर्स एसोसिएशन

केन्द्रीय कार्यालयः– 132 के0वी0 माजरा, देहरादून।

पत्रांक 289/ उ0पा0जू0ई0ए0/ देहरादून   दिनांक 19/07/2019

सेवा में,

मा0 सचिव (ऊर्जा)/अध्यक्ष ऊर्जा निगम, सचिवालय ऐनक्सी, सुभाष रोड़, देहरादून।	✓प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्षा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।

D-1
No 71445 / MD/ Dt 19/7/2019

विषयः– अवर अभियंता संवर्ग द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे सांकेतिक सत्याग्रह के सम्बन्ध में।

निदेशक (का०सं०)

प्र.नि.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (मा0सं0) कार्यालय पत्रांक सं0
2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0/दिनांक 16/07/2019 का सन्दर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र के माध्यम से निगम प्रबन्धन द्वारा औद्योगिक विवाद
अधिनियम–1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एंव 23 जोकि हड़ताल एंव तालाबंदी (Strike and
lockout) के सम्बन्ध में है को उद्धत करते हुये उ0पा0जू0ई0एसो0 के दिनांक 11/07/2019 से
जारी सत्याग्रह कार्यक्रम को अवैधानिक बताने की चेष्ठा की गई है। उपरोक्त के सम्बन्ध में
एसोसिएशन यह अवगत कराना चाहती है कि एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी औद्योगिक विवाद
अधिनियम–1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एंव 23 जोकि हड़ताल एंव तालाबंदी के सम्बन्ध में है
से पूर्ण रूप से पत्र प्राप्ती के पूर्व से ही पूर्णतः भिज्ञ है तथा एसोसिएशन द्वारा किसी भी तरह से
औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है जबकि प्रबन्धन इस सम्बन्ध में इस
तरह का पत्रव्यवहार कर केवल मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि संगठन का उक्त
सत्याग्रह कार्यक्रम कार्यालय समय के पश्चात सांय 5:30 बजे से 7:30 बजे तक किया जा रहा है एंव
इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी पदाधिकारी/सदस्य के द्वारा कार्यक्रम में
भागेदारी करने के फलस्वरूप विभागीय कार्य बाधित न होने पाए। उपरोक्त सत्याग्रह कार्यक्रम किसी
भी स्थिति में हड़ताल एंव तालाबंदी की श्रेणी में नहीं आता है तथा यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से
भारतीय संविधान की परिधि में रहते हुये वैधानिक रूप में चलाया जा रहा है।

उ0पा0जू0ई0एसो0 पिछले लगभग 2 वर्षो से विभिन्न समस्याओं को लेकर निगम प्रबन्धन से
उनके समाधान हेतु अनुरोध करता चला आ रहा है निगम प्रबन्धन द्वारा द्विपक्षीय वार्ताओं में सहमती
जताने के पष्चात भी एसोसिएषन की लम्बित मांगों पर कार्यवाही नही की जा रही है। निगम प्रबन्धन
माननीय न्यायालय के आदेषों की मनमानी व्याख्या कर अवर अभियंता संवर्ग की जायज मांगों को
उलझाना चाहता है। आपके द्वारा ऐसोसिएषन से अवर अभियंता पद से सहायक अभियंता पद पर
पदोन्नति के विशय पर पहले कहा गया था कि सचिव (ऊर्जा) के स्तर से अनुमति आवश्यक है और
वह नहीं मिल पा रही है इसलिए अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति नही हो पा
रही है। आपके वकतव्य पर एसोसिएषन का प्रतिनिधि मण्डल माननीय सचिव ऊर्जा से दिनांक
15/03/2019 को उनके कार्यालय में मिला था वहां पर उनके द्वारा आपको निर्देष दिये गये तब
आपके द्वारा उनको अवगत कराया गया कि राजस्व वसूली का पीक समय चल रहा है उसके बाद

क्रमशः 2

20/7/19
19/07/2019

पदोन्नति आदेष निर्गत किये जायेगे। उसके पश्चात आपने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त आदेश निर्गत किये जायेगे परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि अब आपके द्वारा यह इंगित किया गया है कि वर्तमान में अवर अभियंताओं की वरिष्ठता से सम्बन्धित निम्नवाद मा0 उच्चन्यायालय/लोक सेवा अधिकरण में लंबित थे इसलिए पदोन्नति किया जाना सम्भव नहीं है एंव अवर अभियंता से सहायक अभियंता एंव सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति मा0 न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत ही की जायेगी। इस सम्बन्ध में आप द्वारा 12 वाद का जो विवरण अपने पत्रांक में उल्लेखित किया गया है उसमें से 10 वाद सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता पद पर वर्ष 2015 में नियम विरूद्ध की गई पदोन्नतियों के सम्बन्ध में है एंव अवर अभियंताओं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में मात्र 02 वाद रिट पिटिशन सं0 875/2017 अशोक कुमार एंव अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन एंव अन्य तथा वाद सं0 57/डीबी/2016 नवनीत चौहान बनाम उत्तराखण्ड शासन है। उपरोक्त दोनों वाद का अंतिम निर्णय मा0 न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है तथा वर्तमान में कोई भी वाद अवर अभियंता से सहायक अभियंता पद हेतु कही पर भी लंबित नहीं है। अतः उक्त पदों की पदोन्नति रोका जाना न्यायसंगत नहीं है।

ऐसोसिएशन द्वारा कभी भी कार्मिकों की सेवा अवधि में शिथलीकरण देने को गलत नहीं बताया गया है जैसे की आपके पत्रांक से प्रतीत होता है। कार्मिकों को पूर्व में शासन द्वारा शिथिलीकरण पर पूर्णतः रोक लगाने से पूर्व में उपाकालि द्वारा निदेशक मण्डल की अनुमति से विभिन्न संवर्गो के कार्मिकों को शिथलीकरण का लाभ दिया जाता रहा है अतः उसे निगम पत्रांक में उद्धत करने का कोई औचित्य नहीं है। शासन द्वारा शिथलीकरण के लाभ को बहाल करने के सम्बन्ध में वर्तमान तक भी कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है परन्तु निगम द्वारा अति सक्रियता दिखाते हुये शिथलीकरण का लाभ देकर पदोन्नतियाँ की गई है परन्तु अन्य संवर्गो में पात्रता अवधि पूर्ण कर चुके कार्मिकों की पदोन्नतियाँ अभी तक लम्बित है।निगम द्वारा अपने पत्रांक में शिथलीकरण को न्यायोचित ठहराया गया है। जबकि मा0 उच्च न्यायालय के जिस आदेश का जिक्र निगम पत्रांक में किया गया है उसमें निगम पक्षकार नहीं है तथा सीधे तौर पर मा0 न्यायालय द्वारा निगम हेतु कोई भी आदेश निर्गत नहीं किये गये है। उक्त वाद में शासन पक्षकार है तथा शासन द्वारा वर्तमान तक शिथलीकरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी आदेश निर्गत नहीं किये गये है। ऐसोसिएशन माननीय न्यायाल्य का पूर्ण सम्मान करता है एंव एसोसिएशन द्वारा अपने पत्र में माननीय न्यायालय के आदेश की कोई भी अवमानना नहीं की गई है। अतः एसोसिएशन को मा0 उच्चन्यायालय के आदेशों की अवमानना करने को लेकर निगम के पत्रांक में वर्णित किया जाना स्वीकार्य नहीं है।

आप द्वारा श्री अभिनव रावत, सहायक अभियंता जोकि बहुत कनिष्ट है उन्हें पौड़ी में अधिशासी अभियंता का प्रभार वर्ष 2016 से वर्तमान तक दिया गया है के बारे में अवगत कराया गया है कि उच्च पद का प्रभार दिया जाना प्रबन्धन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। प्रबन्धन कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अगले उच्च पद का प्रभार देने में सक्षम है। जबकि एसोसिएशन का इस सम्बन्ध में यह अभिमत है कि उच्च पद का प्रभार भी कार्मिकों की वरिष्ठता के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। जिसके लिए सेवा नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है। निगम प्रबन्धन से अपेक्षा की जाती है की उनके द्वारा सेवा नियमावली का अनुपालन करते हुये आदर्श प्रस्तुत किया जाना चाहिए एंव विशेषाधिकारों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे की निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे एंव वरिष्ठ कार्मिकों को छोड़कर उनके स्थान पर कनिष्ट कार्मिकों को उच्च प्रभार दिये जाने से कार्मिकों का मानसिक शोषण होता है जिसको किसी भी स्थिति में स्वीकार्यता नहीं दी सकती है। क्रमशः 3

आप द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29/08/2018 को अपने पत्रांक मे उल्लेखित कर मा0 न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में एसोसिएशन को आगह किया गया है। इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त पारित आदेश के प्रस्तर एच0 में स्पष्ट उल्लेखित है कि:-

The State Government is directed to constitute Redressal Grievance Committees presided over by the Secretary, Head of Department of the respective Department with one nominee of the recognized Association/Federation/Confederation, to address the genuine grievance[s] of the employees, within eight weeks from today. This Committee shall meet after every 3 months.

मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा पारित आदेश से यह आदेशित किया गया है कि कार्मिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा परन्तु आज दिनांक तक भी उक्त आदेश का अनुपालन निगम प्रबन्धन द्वारा नहीं किया गया है तथा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जिससे कार्मिकों की जायज समस्याऐं लम्बे समय से जस की तस बनी हुई है एवं निगम प्रबन्धन द्वारा कार्मिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कोई रूची नहीं ली जा रही है अपितु केवल कार्मिक संगठनों/एसोसिएशनों को कार्मिक समस्याओं पर किये गये पत्राचारों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा कर खानापूर्ति की जा रही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि प्रबन्धन टकराव की स्थिति न अपनाते हुये कार्मिकों की पदोन्नति की समस्या सुलझाने की और अपना ध्यान केन्द्रीत करें जिससे आपस में सौहार्द का वातावरण बना रह सके तथा कार्मिकों को ससमय पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

प्राप्ति सं० 4885
दिनांक 20/07/19

सहयोग की भावना से,

(जे0सी0 पंत)
केन्द्रीय महासचिव

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
महाप्रबन्धक (मा.स.)(प्रभारी)
उप मुख्य का.अधि.(औ.स.)/(मा.स.-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी/सु. कोमल सहा.अभि.
सहा. लेखाधिकारी (मा.स.)
श्री सुमित/श्री राजेश का.अधि.
कैम्प कार्या.-निदे.(मा.स.)
कृपया दि..........को.....बजे चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
निदेशक (मा.स.) 20/7/19

Re. on 20/7/19

(2)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 2515 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0   दिनांक: 18-07-2019

विषय: उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे अवैधानिक धरना प्रदर्शन/आन्दोलन के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,

कृपया उपरोक्त विषयक संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 11.07.2019 सांय 5.30 बजे से कारपोरेशन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन/आन्दोलन किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्रांक-2348/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को उनके द्वारा अवैधानिक आन्दोलन नोटिस में इंगित किये गये कथन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए यह भी संज्ञान में लाया गया कि उनके द्वारा प्रेषित आन्दोलन नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुसार अवैधानिक होने के साथ-साथ स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध के विरूद्ध भी है।

साथ ही अवगत कराना है कि कारपोरेशन पत्रांक-2358/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 16.07.2019 से उत्तराखण्ड पावर इन्जीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने दो-दो प्रतिनिधियों सहित दिनांक 17.07.2019 को अपराहन 4:30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता में हो रहे पारस्परिक विवादों के समाधान पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन के अनुरोध पर संयुक्त रूप से वार्ता करने के स्थान पर अलग से वार्ता किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए प्रबन्धन द्वारा दोनों एसोसिएशनों के साथ अलग-अलग वार्ता की गयी।

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन के अनुरोध/वार्ता के उपरान्त भी अपना आन्दोलन कार्यक्रम नियमित रूप से किया जा रहा है। एसोसिएशन द्वारा दिनांक 11/07/2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किया जा रहा आन्दोलन अवैधानिक होने के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञानित जनहित याचिका सं0 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 में दिये गये आदेशों की अवहेलना है, जिस कारण उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्धन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन को अवैधानिक घोषित किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अवकाश स्वीकृत न किया जाये। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उनके नियन्त्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का सदस्य, एसोसिएशन द्वारा किये जा रहे अवैधानिक आन्दोलन/धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करें। साथ ही कारपोरेशन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों की नामावली भी प्रतिदिन श्री राहुल जैन, अधीक्षण अभियन्ता (मा0प्र0) एवं नोडल अधिकारी के ईमेल (dgmm.upcl@yahoo.com) पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुनिश्चित करें कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं कारपोरेशन में औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

क्रमशः- 02

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 0135-2763672-75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91-135-2763771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2763771

साथ ही यह भी अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि यदि किसी कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जा रहे अवैधानिक आन्दोलन/धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के साथ साथ उनके नियन्त्रक अधिकारी के विरूद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। तथा सम्बन्धित कार्मिकों पर "काम नहीं तो वेतन नही" का सिद्धान्त लागू करते हुए उन्हें उक्त तिथि पर अनुपस्थित मानकर उनके वेतन से कटौती की जाए। इस सम्बन्ध में आपको अवैधानिक आन्दोलन/धरना प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग, फोटो एवं अवैधानिक आन्दोलन/धरना प्रदर्शन में दिनांक 11.07.2019 से प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों की नामावली भी प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

18-07-19
(के०बी० चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

पत्रांक _______/निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/औ०सं०/उ०पा०जू०ई०ए० ___ तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन को सचिव (ऊर्जा) महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सीनियर एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी-प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/मा०सं०/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

/
(के०बी० चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

पत्रांक _______/निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/औ०सं०/उ०पा०जू०ई०ए० ___ तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि श्री राहुल जैन, अधीक्षण अभियन्ता (सामग्री प्रबन्धन) एवं नोडल अधिकारी, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

/
(के०बी० चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

(2)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसियेशन एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन के मध्य दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त

वार्ता में उपस्थिति :—

प्रबन्धन की ओर से

1. श्री बी0सी0के0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक
2. श्री पी0सी0 ध्यानी, निदेशक (मानव संसाधन)
3. श्री के0बी0 चौबे, महाप्रबन्धक (मा0सं0) (प्रभारी)
4. श्री जितेन्द्र सिंह, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
5. श्री डी0के0 राणा, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
6. श्री एस0के0 भाटिया, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
7. श्री सुमित सिंघल, कार्मिक अधिकारी

संगठन की ओर से

1. श्री जी0एन0 कोठीयाल, केन्द्रीय अध्यक्ष
2. श्री जगदीश चन्द्र पन्त, केन्द्रीय महासचिव
3. श्री सन्दीप कुमार शर्मा, केन्द्रीय उपमहा0
4. श्री रविन्द्र कुमार, प्रा0 अध्यक्ष उपाकालि
5. श्री जगपाल सिंह, केन्द्रीय उपमहासचिव
6. श्री पवन रावत, प्रान्तीय महासचिव एवं अन्य

क्र0	मांग/समस्या	अद्यतन स्थिति
1	सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पूर्व में की गयी विभागीय चयन समिति की बैठक जिसमें कि श्री एस0 पी0 कुडियाल एवं श्री प्रदीप कुमार की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की जाए।	इंगित किया गया कि दिनांक 16.05.2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक में उक्त दोनों सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति क्रमशः इस कारणवश नहीं हो पायी थी:— 1. श्री एस0पी0 कुडियाल:— सहायक अभियन्ता के पद से विगत 10 वर्षो की कोई भी वार्षिक गोपनीय आख्यायें उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण उनका सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायीकरण लम्बित था। 2. श्री प्रदीप कुमार:— विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने के कारण उनके चयन का लिफाफा बन्द की कार्यवाही की गयी। वर्तमान में सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सम्बन्धी विभिन्न वाद मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण में लम्बित है। यह भी सूच्य है कि पूर्व में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति/वरिष्ठता सम्बन्धी वाद WPSB रिट पिटीशन संख्या 579/2017 (उपाकालि बनाम बी0एम0 भट्ट एवं अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिरिम आदेश दिनांक 26.04.2018 के अनुपालन में 05 सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी थी, उस समय उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन एवं उत्तरांचल पावर इंजीनियर एसोसिएशन के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 न्यायालय में वरिष्ठता के सम्बन्ध में लम्बित वाद में अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही किया जाना उचित होगा, ताकि दोनों संवर्गों में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न हो।

प्रबन्ध निदेशक
महोदय कृपया। पत्र को अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

18.7.19

18/7/19

निदे० (मा०सं०)

18/07/19

Dy. CPO IR
19.7.19

027 19/7/19

		इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राहुल चानना व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण देहरादून द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया:- "The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority, within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioners in accordance with the provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken."
2	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति की जाय। इस सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि कारपोरेशन द्वारा आदेश संख्या 5857 दिनांक 21.08.2012 द्वारा जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील सं0-20/2009 में, मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2012 के अनुपालन में कारपोरेशन द्वारा अवर अभियन्ताओं(वि0एवंयां0) की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-4579-निदे0(मा0सं0)/का0सी0/जेई-08 दिनांक 16.12.2008 को निरस्त करते हुये, सम्प्रति प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, सेवक विनियमावली 1998 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती/प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं(वि0एवंयां0/कम्प्यूटर) की नई अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची (Inter-se-seniority) कारपोरेशन ज्ञाप सं0 5336-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/कासी/जेई-08 दिनांक 25.07.2012 द्वारा अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी थी, जिसमें कि किसी भी प्रकार का बदलाव करना मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना होगी। साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-875/2017 के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 से 59 के मध्य वरिष्ठता में संशोधन निर्गत किया जा सकेगा। जो कि वर्ष 2007-08 के अवर अभियन्ता हैं तथा एसोसिएशन की माँग वर्ष 2004-05 के अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर दिया जाए।	इंगित किया गया है कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सम्बन्धी वाद संख्या-579/2017 (उपाकालि व अन्य बनाम बी0एम0 भट्ट व अन्य) में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 13.12.2017 में मा0 न्यायालय द्वारा सहायक अभियन्ताओं की ट्रेनिंग अवधि को हटाते हुये नव नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में उपाकालि के द्वारा सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची तदानुसार मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 14.03.2018 को सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गयी है। जिस पर सुनवाई चल रही है तथा निर्णय लम्बित है, जिस कारण वर्तमान में पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव नही है। क्योंकि अगर नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की ट्रेनिंग को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा हटाये जाने का निर्णय दिया जाता है तो अवर अभियन्ताओं की सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अवर अभियन्ताओं पर भी समान नियम लागू करते हुये वरिष्ठता जारी किया जाना समीचीन होगा। ताकि भविष्य में दोनों संवर्गों में वरिष्ठता से सम्बन्धित कोई वाद उत्पन्न न हो। एसोसिएशन के द्वारा इंगित Special Appeal No. 20/2009 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2012 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त वाद सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अवर अभियन्ताओं द्वारा दायर नही किया गया था, बल्कि टी0जी0-2 से प्रोन्नत श्री राकेश शर्मा व अन्य लोगों के द्वारा उक्त वाद दायर किया गया था, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2012 में यह आदेशित किया था कि दिनांक 16.05.2008 में जारी अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुये नई वरिष्ठता सूची जारी करें। जिसमें वर्ष 1977, 1979 व 1985 में उत्तीर्ण हुये अवर अभियन्ताओं की क्रमशः वरिष्ठता सूची जारी करते हुये Consequential Benifits दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में प्रबन्धन द्वारा दिनांक 25.07.2012 को अवर अभियन्ताओं की अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी, जिसके क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुये अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 को निर्गत किया गया थी। उक्त वरिष्ठता सूची को जारी किये जाने के

पश्चात याचिकाकर्ता श्री राकेश शर्मा व अन्य प्रभावित कार्मिकों के द्वारा पुनः अपना प्रत्यावेदन प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उक्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण नही हो पाया था। अतः श्री राकेश शर्मा व अन्य प्रभावित कार्मिकों के प्रत्यावेदनों पर पुनः विचार किया जाना समीचीन होगा, जिससे मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय का पूर्ण अनुपालन किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वाद संख्या–075/2017 अशोक कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.05.2019 को निम्न आदेश पारित किया है:-

"This Petition is being disposed of in the following manner:

So far as the relief no. (1) is concerned, where the challenge is given to the seniority list dated. 21.08.2012 passed by the respondent no. (3) in relation to respondent no's 4 to 59 by filing the writ petition at a belated stage after almost five years, the remedy would lie before the State Public Service Tribunal, in the light of the judgement as rendered in ***Bhuvan Chandra Pandey's case (Supra).*** Hence, for relief No. (i), the writ petition would stand dismissed on account of the availability of an alternative remedy.

So far as the relief No. (ii) is concerned, **it** speaks about the inaction on the part of the respondent, which has been contended by the learned counsel for the petitioners that the determination of seniority of the petitioners has been deliberately delayed in order to provide undue benifits to the private resopondents. In that eventuality, so far as the relief Nos. (ii) and (iii) are concerned, the respondent No. 3 is directed to determine the seniority of the petitioners vis-à-vis seniority of respondent Nos. 4 to 59, within a period of six weeks from the date of production of certified copy of this order.

On determination of seniority of the petitioners thus directed above, it will be open for the petitioners to put challenge the seniority list dated 21.08.2012 before the State Public Service Tribunal if they are so advised.

Subject to the above observation and the liberty given, the writ petition stands dismissed, However, there would be no order as to costs.

अतः मा0 न्यायालयों के निर्णयों के अनुपालन में व उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रबन्धन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वरिष्ठता से सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकरण को विस्तृत रूप से परीक्षण हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की समिति को प्रस्तुत किया जाए। प्रबन्धन द्वारा एसोसिएशन के पत्रांक 3159 दिनांक 15.07.2019 में दिये गये कथन पर कठोर आपत्ति व्यक्त करते हुये चेतावनी दी गयी कि भविष्य में इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग न किया जाए।

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 0135–2763672- 75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax 91-135-2769771

(26)

पत्रांक :-2511-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि0/ऑ0स0/उ0पा0जू0ई0ए0 दिनांक 18-07-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सीनियर एक्सीक्युटिव सेक्रेटरी-प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
2. निजी सचिव, निदेशक (परियोजना/परिचालन/मानव संसाधन/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/प्रभारी, कार्मिक अनुभाग, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित अपने-अपने अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर त्वरित/समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. केन्द्रीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसियेशन, विकास सदन, 132 के0वी0 सबस्टेशन माजरा, देहरादून - 248001।

18.07.19

(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

उत्तराँचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 प्रबन्धन के मध्य दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त

वार्ता में उपस्थिति :-

प्रबन्धन की ओर से

1. श्री बी0सी0के0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक
2. श्री पी0सी0 ध्यानी, निदेशक (मानव संसाधन)
3. श्री के0बी0 चौबे, महाप्रबन्धक (मा0सं0) (प्रभारी)
4. श्री जितेन्द्र सिंह, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
5. श्री डी0के0 राणा, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
6. श्री एस0के0 भाटिया, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
7. श्री सुमित सिंघल, कार्मिक अधिकारी

संगठन की ओर से

1. श्री कार्तिके दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
2. श्री मुकेश कुमार, महासचिव
3. श्री राहुल चानना, संयुक्त सचिव
4. श्री अभिनव रावत, सदस्य
5. श्री हिमाँशु, सदस्य
6. श्री एस0बी0 यादव, सदस्य एवं अन्य

क्र0	मांग/समस्या	अद्यतन स्थिति
1—	उत्तराँचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में ऊर्जा निगमों में नियुक्ति वर्षवार वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है किन्तु चयन वर्ष का नाम दिया जा रहा है क्योंकि नियुक्ति की तिथि से चयन वर्ष का कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि उ0प्र0पा0का0लि0 में सीधी भर्ती से आने वाले सहायक अभियन्ताओं को चयन वर्ष की वरिष्ठता दी जा रही है न कि नियुक्ति वर्ष की। उत्तराँचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों में भी स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति तिथि का चयन वर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं चयन प्रस्तावित होने के वर्ष से ही वरिष्ठता दी जानी चाहिए। यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उपाकालि में भी नियुक्ति दिनांक से पूर्व चयन वर्ष की वरिष्ठता दी जाती थी जोकि पूर्णतः नियम सम्मत है। उत्तराँचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि राकेश शर्मा बनाम उपाकालि में उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुसार अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची का पुनः निर्धारण किया जाना है।	इंगित किया गया है कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सम्बन्धी वाद संख्या-579/2017 (उपाकालि व अन्य बनाम बी0एम0 भट्ट व अन्य) में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 13.12.2017 में मा0 न्यायालय द्वारा सहायक अभियन्ताओं की ट्रेनिंग अवधि को हटाते हुये नव नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में उपाकालि के द्वारा सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची तदानुसार मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 14.03.2018 को सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गयी है। जिस पर सुनवाई चल रही है तथा निर्णय लम्बित है, जिस कारण वर्तमान में पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव नही है। क्योंकि अगर नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की ट्रेनिंग को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा हटाये जाने का निर्णय दिया जाता है तो अवर अभियन्ताओं की सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अवर अभियन्ताओं पर भी समान नियम लागू करते हुये वरिष्ठता जारी किया जाना समीचीन होगा। ताकि भविष्य में दोनों संवर्गों में वरिष्ठता से सम्बन्धित कोई वाद उत्पन्न न हो। एसोसिएशन के द्वारा इंगित Special Appeal No. 20/2009 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2012 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त वाद सीधी भर्ती के माध्यम से

नियुक्त अवर अभियन्ताओं द्वारा दायर नही किया गया था, बल्कि टी0जी0-2 से प्रोन्नत श्री राकेश शर्मा व अन्य लोगों के द्वारा उक्त वाद दायर किया गया था, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2012 में यह आदेशित किया था कि दिनांक 16.05.2008 में जारी अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुये नई वरिष्ठता सूची जारी करें। जिसमें वर्ष 1977, 1979 व 1985 में उत्तीर्ण हुये अवर अभियन्ताओं की कमशः वरिष्ठता सूची जारी करते हुये Consequential Benifits दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में प्रबन्धन द्वारा दिनांक 25.07.2012 को अवर अभियन्ताओं की अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी, जिसके कम में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुये अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 को निर्गत किय गया थी। उक्त वरिष्ठता सूची को जारी किये जाने के पश्चात याचिकाकर्ता श्री राकेश शर्मा व अन्य प्रभावित कार्मिकों के द्वारा पुनः अपना प्रत्यावेदन प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उक्त प्रत्योवेदनों का निस्तारण नही हो पाया था। अतः श्री राकेश शर्मा व अन्य प्रभावित कार्मिकों के प्रत्यावेदनों पर पुनः विचार किया जाना समीचीन होगा, जिससे मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय का पूर्ण अनुपालन किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वाद संख्या-875/2017 अशोक कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.05.2019 को निम्न आदेश पारित किया है:-

"This Petition is being disposed of in the following manner:

So far as the relief no. (1) is concerned, where the challenge is given to the seniority list dated, 21.08.2012 passed by the respondent no. (3) in relation to respondent no's 4 to 59 by filing the writ petition at a belated stage after almost five years, the remedy would lie before the State Public Service Tribunal, in the light of the judgement as rendered in ***Bhuvan Chandra Pandey's case (Supra)***. Hence, for relief No. (i), the writ petition would stand dismissed on account of the availability of an alternative remedy.

So far as the relief No. (ii) is concerned, it speaks about the inaction on the part of the respondent, which has been contended by the learned counsel for the petitioners that the determination of seniority of the petitioners has been deliberately delayed in order to provide undue benifits to the private resopondents. In that eventuality, so far as the relief Nos. (ii) and (iii) are concerned, the respondent No. 3 is directed to determine the

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 0135-2763672-75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91-135-2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2768771

		seniority of the petitioners vis-à-vis seniority of respondent Nos. 4 to 59, within a period of six weeks from the date of production of certified copy of this order. On determination of seniority of the petitioners thus directed above, it will be open for the petitioners to put challenge the seniority list dated 21.08.2012 before the State Public Service Tribunal if they are so advised. Subject to the above observation and the liberty given, the writ petition stands dismissed, However, there would be no order as to costs. प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकरण का समग्रता से परीक्षण किया जायेगा। और पूर्ण कालिक निदेशकों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2–	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया है कि चयन वर्ष की परिभाषा से सम्बन्धित ज्ञाप सं0 428 दिनांक 24.03.2001 में चयन वर्ष ऐसे परिभाषित किया गया है कि "वह वर्ष जिसकी रिक्तियों हेतु चयन प्रस्तावित है"। वर्ष 2009 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का चयन वर्ष 2008–09 हेतु जुलाई 2008 में प्रस्तावित किया जा चुका था अतः उन्हें 2008–09 की वरिष्ठता दी जानी चाहिए।	प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकरण का समग्रता से परीक्षण किया जायेगा। और पूर्ण कालिक निदेशकों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3–	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.05.19 को राहुल चानना बनाम उपाकालि में लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता को अन्तिम किये बिना पदोन्नति न की जाए। उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि इस आदेश के अनुपालन में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर कोई पदोन्नति करना कोर्ट के आदेश की अवमानना एवं विधि सम्मत नहीं होगा।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राहुल चानना व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण देहरादून द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निम्न आदेश पारित किया गयाः– "The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority, within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioners in accordance with the provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken." इंगित प्रकरण में विधिक परीक्षण के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।
4–	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.05.19 को राहुल चानना बनाम उपाकालि में लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती से आये सहायक अभियन्ताओं का चयन वर्ष 2008–09 है।	
5–	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.05.19 को राहुल चानना बनाम उपाकालि में लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.06.2009 को अवर अभियन्ता से सहायक	

	अभियन्ता पद पर गयी पदोन्नति में नियमावली के प्रस्तर 15 एवं 17 का उल्लघंन किया गया है।	
6—	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण अवधि को जोड़ा जाना आवश्यक है। नियमावली 1998 के प्रस्तर 8(3) के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण कोटे के चक्रानुक्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उ0प्र0पा0का0 लि0 तथा उ0पा0का0लि0 के द्वारा किसी भी आदेश में प्रशिक्षण अवधि को वरिष्ठता निर्धारण हेतु छोड़ा नहीं गया है जोकि पूर्णतः नियमावली के अनुसार है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0आर0 परमार वाद में पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए वरिष्ठता का निर्धारण उनके चयन प्रस्ताव की तिथि से किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल द्वारा बी0एम0 भट्ट व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 09.11.2016 व दिनांक 07.11.2017 को निम्न आदेश पारित किया गया:— "The claim petition is allowed, The final seniority list dated 03.01.2015 issued by the respondent no. 2, select list/recommendations of DPC dated 4.1.2015 and the promotion letter/order dated 5.1.2015 issued by the respondent no.2 are hereby set aside. The respondent no.2 is hereby directed to prepare a fresh seniority list according to the Rules and Regulations and as per the observations made above, treating the appointment of the respondents (direct recruits) from the date of their substantive appointment to the cadre, after completion of their training period for the purpose of seniority, within a period of three months from the date of receipt of copy of this order and after publishing the seniority list, the promotional exercise can be taken accordingly as per law. No order as to costs." उक्त आदेश को उपाकालि व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद संख्या 579/2017 उपाकालि बनाम बी0एम0 भट्ट एवं अन्य द्वारा चुनौती दी गयी है। तथा मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2017 में दिये गये आदेश के अनुपालन में सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची प्रशिक्षण अवधि को हटाते हुये तैयार कर बन्द लिफाफे में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दिनांक 14.03.2018 को प्रस्तुत की गयी है। जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है, तथा निर्णय हेतु लम्बित है। अतः वरिष्ठता व पदोन्नति के सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण व मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णयों के उपरान्त ही कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा, ताकि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन व उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के मध्य इस सम्बन्ध में कोई वाद उत्पन्न न हो।
7—	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि चयन श्रेणी वर्ग का पद उपाकालि में समाप्त मान लिया गया है जबकि इस सम्बन्ध में जारी शासन के पत्रांक 1869 दिनांक 06.11.2007 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन वर्ग से सम्बन्धित व्यवस्था उ0प्र0पा0का0लि0 में दिये गये संशोधन तक सीमित रखा जाए एवं यह व्यवस्था भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होगी। यह संशोधन केवल चयन वर्ग के वेतनमान को समाप्त करने हेतु था किन्तु उ0पा0का0लि0 में अवर अभियन्ता(चयन वर्ग) पद को ही समाप्त कर दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि	प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकरण का समग्रता से परीक्षण किया जायेगा। और पूर्ण कालिक निदेशकों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

	उप्रपाकालि0 में वर्तमान में अवर अभियन्ता चयन वर्ग का पद विद्यमान है तथा नियमावलियों में भी यह पद यथावत है।	
8–	उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि अवर अभियन्ता संगठन में सेवानिवृत्त कार्मिक भी सदस्य एवं पदाधिकारी है ऐसे संगठनों की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु उप मुख्य सचिव के कार्यालय आदेश संख्या 25 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा आदेश निर्गत किये गये थे। अतः उत्तरॉचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया कि अवर अभियन्ता संगठन की मान्यता भी रद्द की जाये।	प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकरण का समग्रता से परीक्षण किया जायेगा। और पूर्ण कालिक निदेशकों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पत्रांक :–2512 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि0/ऑ0स0/उ0पा0ई0ए0 दिनॉक 18–07–2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्सीक्युटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
2. निजी सचिव, निदेशक (परियोजना/परिचालन/मानव संसाधन/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/प्रभारी, कार्मिक अनुभाग, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर त्वरित/समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. एसोसिएशन को ....

DyCPO (HR-I)

18-07-19

(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

उत्तराखण्ड पॉवर जूनियर इंजिनियर्स एसोसिएशन

केन्द्रीय कार्यालयः– 132 के0वी0 माजरा, देहरादून।

पत्रांकः–मेमो0 | दिनांक 17/07/2019

प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि,
वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन,
देहरादून।

महोदय,

कृपया निगम कार्यालय पत्रांक सं0 2358/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 16.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आप द्वारा उ0पा0ई0एसोसिएशन एवं उ0पा0जू0ई0 ऐसोसिएशन को विभिन्न वादों के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से विस्तृत चर्चा हेतु दिनांक 17.07.2019 को शाम 4:30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में आमंत्रित किया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी एसोसिएशन को निदेशक (मा0सं0) कार्यालय पत्रांक सं0 9630 दिनांक 21.08.2017 के माध्यम से सहायक अभियन्ता (वि0एवयां0) एवं जानपद की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में अपना अभिमत दिनांक 25.08.2017 को कमेटी के सामने प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था। उ0पा0जू0ई0 ऐसोसिएशन द्वारा अपने पत्र सं0 199 दिनांक 25.08.2017 के द्वारा अपना बिन्दुवार अभिमत लिखित एवं मैखिक रूप से कमेटी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था।

मा0 लोक सेवा अभिकरण में योजित वाद सं0 01/NB/DB/2017 राहुल चानना बनाम उ0पा0का0लि0 में मा0 लोक सेवा अभिकरण द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 22/05/2019 के सम्बन्ध में भी उ0पा0जू0ई0 ऐसोसिएशन द्वारा अपना पक्ष ऐसोसिएशन के पत्रांक सं0 3110/उ0पा0जू0ई0एसो0 दिनांक 18.06.2019 के माध्यम से निगम के समक्ष रखा जा चुका है।

अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित वाद सं0 875–अशोक कुमार बनाम उ0पा0का0लि0 एवं लोक सेवा अभिकरण में योजित वाद सं0 57/DB/2016, Review Petition 01/DB/2018, 01/DB/2019, नवनीत चौहान बनाम उ0पा0का0लि0 में मा0 न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय दिया जा चुका है।

सहा0/ अवर अभियन्ता की वरिष्ठता के सम्बन्ध में ऐसोसिएशन आपको अवगत कराना चाहती है कि ऐसोसिएशन हमेशा निगम प्रबन्धन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता/ चर्चा करने के लिए सहर्ष तैयार है परन्तु नितिगत विषय में किसी भी अन्य ऐसोसिएशन के साथ अवर अभियन्ता संवर्ग की मॉगों के सम्बन्ध में वार्ता स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों के विपरीत है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप उपरोक्त विषय पर ऐसोसिएशन का पक्ष जानना चाहते है तो ऐसोसिएशन को द्विपक्षीय वार्ता हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें।

(जे0सी0 पंत)
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक Memo /तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, ऊर्जा भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्रभारी)

(जे0सी0 पंत)
केन्द्रीय महासचिव

Recd 17/7/19

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक-2358 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक: 16-07-2019

विषयः प्रोन्नत एवं नव नियुक्त अवर अभियन्ता (वि0 एवं यां0) एवं सहायक अभियन्ताओं (वि0 एवं यां0) की ज्येष्ठा के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष,
उत्तरांचल पावर इन्जीनियर्स एसोसिएशन,
विद्युत अभियन्ता भवन, 1 टर्नर रोड़,
देहरादून।

महासचिव,
उत्तरांचल पावर इन्जीनियर्स एसोसिएशन,
विद्युत अभियन्ता भवन, 1 टर्नर रोड़,
देहरादून।

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन,
विकास सदन, 132 के0वी0 सबस्टेशन माजरा,
देहरादून।

महासचिव,
उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन,
विकास सदन, 132 के0वी0 सबस्टेशन माजरा,
देहरादून।

महोदय,

कृपया कारपोरेशन पत्रांक 9629–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/SPO(HR)/ दिनांक 21.08.2017 एवं पत्रांक 9630–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/SPO(HR)/ दिनांक 21.08.2017' का सन्दर्भ ग्रहण करें।

सूच्य है कि सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सम्बन्धी निम्न वाद माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित है :–

1. रिट पिटिशन 579/2017 उपाकालि बनाम बी0एम0 भट्ट एवं अन्य
2. रिट पिटिशन 451/एस0एस0/2016 कन्हैया जी मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
3. रिट पिटिशन 453/एस0बी0/2016 उमाकान्त चर्तुवेदी बनाम बी0एम0 भट्ट
4. रिट पिटिशन 460/एस0बी0/2016 आशुतोष तिवारी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
5. रिट पिटिशन 467/एस0बी0 /2016 दीपक पाल आर्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
6. रिट पिटिशन 247/एस0बी0 /2016 नारायण सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
7. रिट पिटिशन 552/एस0बी0/2017 उमाकान्त चर्तुवेदी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
8. रिट पिटिशन 550/एस0बी0 /2017 कन्हैया जी मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
9. क्लेम पिटिशन नं0 14/एन0बी0/डी0बी0/2017 प्रणव प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
10. क्लेम पिटिशन नं0 37/डी0बी0/2018 प्रणव प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
11. क्लेम पिटिशन नं0 01/एन0बी0/डी0बी0/2017 राहुल चानना एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
12. क्लेम पिटिशन नं0 18/डी0बी0/2019 श्वेता दिनकर सेतेला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य

एवं अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सम्बन्धी निम्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय/ लोक सेवा अधिकरण द्वारा आदेश पारित कर दिये गये हैं :–

1. रिट संख्या 875/2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य
2. वाद संख्या 57/डीबी/2016 नवनीत चौहान बनाम उत्तराखण्ड शासन

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर संयुक्त रूप से गहन/विस्तृत चर्चा करने हेतु दिनांक 17.07.2019 को अपराह्न 04.30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में बैठक निर्धारित की गयी है। अतः आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि समस्त तथ्यों एवं संगत अभिलेखों के साथ चर्चा करने हेतु निर्धारित तिथि/समय पर अपने अधिकतम 02–02 प्रतिनिधियों सहित उपस्थिति होने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में संयुक्त रूप से किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

Dy. CPO (IR)
17-7-19.

भवदीय,

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

(34)

पत्रांक - 2358 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन/मानव संसाधन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

16.07.98

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष 0135–2763672–75 एक्स0 नं0 130 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 2358 /निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/औ०सं०/उपा०जू०ई०ए० दिनांक: 16-07-2019

विषय: अवर अभियन्ता संवर्ग द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में।

केन्द्रीय महासचिव,
उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन,
विकास सदन, 132 के०वी० सबस्टेशन माजरा,
देहरादून।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3158/उ.पा.जू.इ.ऐ./ दिनांक 05.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा दिनांक 11.07.2019 से सांय 5.30 बजे से प्रतिदिन एक घण्टा कारपोरेशन मुख्यालय पर सांकेतिक सत्याग्रह किये जाने का नोटिस दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत हैं कि आपकी एसोसिएशन के साथ निगम प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर एसोसिएशन द्वारा इंगित मांगों पर समाधान/निराकरण हेतु वार्ता की जाती रही है। एसोसिएशन के साथ पूर्व में कारपोरेशन स्तर पर दिनांक 20.02.2019 को वार्ता की गयी थी तदोपरान्त आपकी एसोसिएशन के नोटिस संख्या 3107/ दिनांक 28.05.2019 के सन्दर्भ मे आपकी एसोसिएशन के साथ तीनों निगमों के प्रबन्धन की दिनांक 24.06.2019 को यूजेवीएन लि० में वार्ता की गयी थी, जिसमें आपकी एसोसिएशन द्वारा इंगित मांगों पर तीनों निगमों द्वारा की जा रही कार्यवाही से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया था। इसके अतिरिक्त आपकी एसोसिएशन द्वारा दिनांक 09.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी से अनौपचारिक वार्ता भी की गयी।

इस सम्बन्ध में मुझे प्रबन्धन की ओर से यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि आपकी एसोसिएशन द्वारा अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 05.07.2019, जो कि कारपोरेशन में दिनांक 11.07.2019 को प्राप्त हुआ है, के क्रम में कारपोरेशन मुख्यालय में दिनांक 11.07.2019 से सांय 5.30 बजे से आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि कारपोरेशन प्रबन्धन अवर अभियन्ता संवर्ग की मांगों/समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव संवेदनशील/प्रयासरत रहा है तथा समय-समय पर एसोसिएशन को भी वार्ता के माध्यम से कारपोरेशन स्तर से की जा रही कार्यवाही से अवगत भी कराया जाता रहा है, इसके उपरान्त भी आपकी एसोसिएशन द्वारा प्रबन्धन पर अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से आन्दोलन किया जाना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय पाँच के अनुच्छेद 22 एवं 23, जो कि निम्नवत् उद्धरित की जा रही है, के प्राविधानों के अनुसार अवैधानिक होने के साथ-साथ स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध के विरूद्ध भी है :-

" CHAPTER V

STRIKES AND LOCK OUTS

22. Prohibition of strikes and lock-outs.-

(1) No person employed in a public utility service shall go on strike, in breach of contract –

(a) without giving to the employer notice of strike, as hereinafter provided, within six weeks before striking; or

(b) within fourteen days of giving such notice; or

(c) before the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer and seven days after the conclusion of such proceedings.

(2) No employer carrying on any public utility service shall lock-out any of workman –

(a) without giving them notice of lock-out as hereinafter provided, within six weeks before locking-out; or

(b) within fourteen days of giving such notice; or

क्रमशः– 02

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 0135-2763672-75 एक्स० न० 130 फैक्स: 91-135-2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2769771

(36)

(c) before the expiry of the date of lock-out specified in any such notice as aforesaid; or

(d) during the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer and seven days after the conclusion of such proceedings.

(3) The notice of lock-out or strike under this section shall not be necessary where there is already in existence a strike or, as the case may be, lock-out in the public utility service, but the employer shall send intimation of such lock-out or strike on the day on which it is declared, to such authority as may be specified by the appropriate Government either generally or for a particular area or for a particular class of public utility service.

(4) The notice of strike referred to in sub-section (1) shall be given by such number of persons to such person or persons and in such manner as may be prescribed.

(5) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) shall be given in such manner as may be prescribed.

(6) If on any day an employer receives from any person employed by him any such notice as are referred to in sub-section (I) or gives to any persons employed by him any such notices as are referred to in sub-section (2), he shall within five days, thereof report to the appropriate Government or to such authority as that Government may prescribe the number of such notices received or given on that day;

23. General prohibition of strikes and lock-outs, -

No workman who is employed in any industrial establishment shall go on strike in beach of contract and no employer of any such workman shall declare a lock out –

(a) during the pendency of conciliation proceedings before a Board and seven days after the conclusion of such proceedings;

(b) during the pendency of proceedings before [Labour Court, Tribunal or National Tribunal] and two months, after the conclusion of such proceedings;

(bb) during the pendency of arbitration proceedings before arbitrator and two months after the conclusion of such proceedings, where a notification has been issued under sub-section (3A) of section 10A; or

(c) during any period in which settlement or award is in operation, in respect of any of the matters covered by the settlement or award. "

यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्य बहिष्कार विषयक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका 115/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 में माननीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक हड़ताल निषिद्ध की गयी है। इसके साथ ही अवैधानिक हड़ताल में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों पर "काम नहीं तो वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसकी प्रति आपको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालनार्थ कारपोरेशन के पत्रांक 222–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 22.01.2019 द्वारा प्रेषित की गयी है।

इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आपकी एसोसिएशन का आन्दोलन नोटिस/आन्दोलन कार्यक्रम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय पाँच के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों के अनुसार भी पूर्णतः अवैधानिक है। जिस कारण आपके पत्रांक 3158/उ.पा.जू.इ.ऐ./ दिनांक 05.07.2019 द्वारा घोषित आन्दोलन तत्कालिक प्रभाव से अवैधानिक घोषित किया जाता है तथापि आपकी एसोसिएशन के आन्दोलन नोटिस दिनांक 05.07.2019 में इंगित कथन के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है:–

क्र0	बिन्दु	समाधान
1.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता पद तक प्रोन्नति की जा चुकी है। कार्यालय कर्मचारी एवं लेखा संवर्ग के कार्मिकों को प्रोन्नति की जा चुकी है।	कारपोरेशन द्वारा की गयी विभिन्न पदों पर समय–समय पर की गयी पदोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा प्रबन्धन द्वारा की गयी पदोन्नतियों की सराहना की जानी चाहिए थी, अपितु आपके द्वारा प्रबन्धन द्वारा कार्मिकों के हित में की गयी कार्यवाही की आलोचना स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों के विरुद्ध होने के कारण अस्वीकार्य है।

क्रमशः– 09

(37)

2.	आपके द्वारा एसोसिएशन से पहले कहा गया कि सचिव ऊर्जा के स्तर से अनुमति आवश्यक है और वह नहीं मिल पा रही है इसलिए अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति नहीं हो पा रही है।	एसोसिएशन का कथन असत्य एवं निराधार है, जबकि वास्तविकता यह है कि अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता से सम्बन्धित निम्न वाद माननीय उच्च न्यायालय/ लोक सेवा अधिकरण में लम्बित थे। 1. रिट संख्या 875/2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य 2. वाद संख्या 57/डीबी/2016 नवनीत चौहान बनाम उत्तराखण्ड शासन उक्त वादों में माननीय उच्च न्यायालय/ लोक सेवा अधिकरण द्वारा आदेश पारित कर दिये गये हैं, जिसके अनुपालन कारपोरेशन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सम्बन्धी विभिन्न निम्न वाद माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित है :– 1. रिट पिटिशन 579/2017 उपाकालि बनाम बी0एम0 भट्ट एवं अन्य 2. रिट पिटिशन 451/एस0एस0/2016 कन्हैया जी मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 3. रिट पिटिशन 453/एस0बी0/2016 उमाकान्त चर्तुवेदी बनाम बी0एम0 भट्ट 4. रिट पिटिशन 460/एस0बी0/2016 आशुतोष तिवारी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 5. रिट पिटिशन 467/एस0बी0 /2016 दीपक पाल आर्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 6. रिट पिटिशन 247/एस0बी0 /2016 नारायण सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 7. रिट पिटिशन 552/एस0बी0/2017 उमाकान्त चर्तुवेदी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 8. रिट पिटिशन 550/एस0बी0 /2017 कन्हैया जी मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 9. क्लेम पिटिशन नं0 14/एन0बी0/डी0बी0/2017 प्रणव प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 10. क्लेम पिटिशन नं0 37/डी0बी0/2018 प्रणव प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 11. क्लेम पिटिशन नं0 01/एन0बी0/डी0बी0/2017 राहुल चानना एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य 12. क्लेम पिटिशन नं0 18/डी0बी0/2019 श्वेता दिनकर रौतेला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य
3.	दिनांक 15 मार्च 2019 को सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन द्वारा आपको निर्देश दिये गये तब आपने उन्हें अवगत कराया कि राजस्व वसूली का पीक समय चल रहा है उसके बाद प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे।	
4.	उसके पश्चात आपने ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद आदेश निर्गत किये जायेंगे।	

क्रमशः– 04

		साथ ही सूच्य है कि पूर्व में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति/वरिष्ठता सम्बन्धी वाद WPSB 579/2017 उपाकालि बनाम बी0एम0 भट्ट एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 26.04.2018 के अनुसार 5 सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी थी, उस समय उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तरांचल पावर इन्जीनियर्स एसोसिएशन के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा दोनों ही एसोसिएशनों द्वारा धरना आरम्भ करते हुए प्रबन्धन का घेराव किया गया था। इस अप्रिय एवं खेदजनक स्थिति के कारण प्रबन्धन द्वारा कारपोरेशन में शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही की जायेगी।
5.	आपके द्वारा एक ओर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश को धता बताते हुये शिथिलीकरण देते हुये लेखा संवर्ग में प्रोन्नति कर दी गयी दूसरी ओर उत्तराखण्ड शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद आपने अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति की पत्रावली अपने स्तर पर रोकी हुयी है।	एसोसिएशन का यह आरोप पूर्णतः असत्य, निराधार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना होने के कारण अस्वीकार्य है। आपको अवगत कराना है कि शिथिलिकरण की व्यवस्था कारपोरेशन में पूर्व से से ही लागू थी, जिसका लाभ सभी संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों, जिसमें अवर अभियन्ता संवर्ग भी सम्मिलित है, को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है कि :– 1. उत्तराखण्ड शासन के पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण सम्बन्धी आदेश सं0 1674, दिनांक 23.11.10 के निर्गत होने से पूर्व भी कारपोरेशन आदेश सं0 5949/ निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/09का0अनु0ए/बी–1, दिनांक 07.11.2005 द्वारा अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को पदोन्नति से भरने हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। 2. कारपोरेशन आदेश सं0 2314–मा0सं0/09का0अनु0ए/बी–1, दिनांक 02.09.2004 द्वारा भी न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि में शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। 3. पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा अपने पत्रांक 36/मा0सं0एवं प्र0वि0/पिटकुल/एच–9, दिनांक 17.01.2009 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा भी पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में दिये गये शिथिलीकरण की समरुपता में कारपोरेशन आदेश सं0 360/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ अनु0का0ए/बी–1, दिनांक 22.01.2009 के द्वारा भी पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। 4. इसके पश्चात पुनः कारपोरेशन द्वारा निदेशक मण्डल की 52वीं बैठक में कारपोरेशन की कार्य आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि में शिथिलीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है – "**ITEM NO. 52.10** Relaxation in minimum service period for promotion in various categories as per requirement of the Corporation.

क्रमशः– 05

(39)

The Board was informed that the Govt. of Uttarakhand vide its Order No. 1674/XXX(2)/2010 Dated 23.11.2010 has granted relaxation up to maximum of 50% in the eligibility service period for promotion to different categories. This would however be applicable only once in career of the concerned employee.

In view of the above, the Board approved the proposal of giving relaxation for the positions mentioned therein upto a maximum of 50% in the eligibility service period for promotion only once in the service period of the employee (Employees who have availed relaxation earlier will not be entitled to the same)"

इस प्रकार निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त उपरोक्त अनुमोदन से स्पष्ट है कि शासन का प्रशासनिक एवं कार्मिक स्ट्रक्चर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के स्वीकृत स्ट्रक्चर से भिन्न होने के कारण शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/ 2010, दिनांक 23.11.2010 को अंगीकृत न करते हुए केवल इसका संज्ञान लेकर विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि में 50 प्रतिशत तक शिथिलीकरण प्रदान करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

5. निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त पदोन्नति में अर्हकारी सेवावधि में शिथिलीकरण हेतु कारपोरेशन ज्ञाप सं0 6939–निदे0 (मा0सं0)/उपाकालि/093अनु0ए/बी–1, दिनांक 14.10.2011 निर्गत किया गया। इस आदेश में शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/ 2010ए दिनांक 23.11.2010 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:–

"कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा 52वीं0 बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' के माप दण्डों के आधार पर ऐसी पदोन्नति के लिए, जिनमें यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मानव संसाधन विभाग के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त, यथास्थिति उक्त निम्नवत् पद या पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप में निम्न प्रतिबन्धाधीन शिथिलीकरण किया जा सकता है :–

1– किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिए अनुमन्य होगी ।

2– पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में जिन कार्मिकों को अनुमन्य हो चुका हो उन्हें पुनः उक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।"

6. उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 257/XXX–2/17/ 03(06)2013TC दिनांक 04.09.2017 के द्वारा पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथलीकरण को स्थगित रखा गया था किन्तु याचिका संख्या 3510/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त आदेश संख्या 257/XXX–2/17/03(06)2013TC, दिनांक 04.09.2017 को अपास्त कर दिया गया जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है कि – **"Accordingly, the writ petition is allowed Impugned Annexure dated 04-09-2017 is quashed and set aside."**

क्रमशः– 06

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 0135–2763672–75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2769771

7. कारपोरेशन में कार्यरत लेखाधिकारियों द्वारा उनके द्वारा पूर्व पदोन्नितयों में शिथिलीकरण का लाभ प्राप्त न किये जाने के कारण वर्तमान में शिथिलीकरण का लाभ प्रदान करते हुए वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये।
8. लेखा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा किये गये अनुरोध पर विचार करते हुए कारपोरेशन द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में कारपोरेशन के वादों की प्रभावी पैरवी हेतु नामित पैनल अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है कि — That in furtherance of the aforementioned query it is relevant to mention herein the letter dated 04-09-2017 had been come to challenge before the Hon'ble H.C in WPSS no. 3510 of 2017 wherein the Hon'ble HC vide its order dated 23-03-2018 had quashed the letter dated 04-09-2017 for which in the present circumstances the suspension of the applicability of the relaxation in qualifying service granted by the rules of 2010 has ceased to exist for which in my opinion there is no embargo for the present to grant the relaxation in qualifying services to the incumbent employees as provided in the rule of 2010.

Opined accordingly.

Should you require any clarification please feel to free to contact the undersigned.

जैसा कि आप एवं आपकी एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी/सदस्य अवगत हैं कि वर्ष 2002 में नियुक्त अवर अभियन्ताओं को प्रशिक्षण अवधि में शिथिलता तथा वर्ष 2009 में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के समय अर्हकारी सेवा अवधि में शिथिलता, अवर अभियन्ता (सलैक्शन ग्रेड) शिथिलता तथा चयन वर्ष के स्थान पर डी0पी0सी की तिथि सम्बन्धी शिथिलता प्रदान की गयी है, जिस पर पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं द्वारा समय-समय पर अपनी आपत्तियाँ प्रकट की गयी है तथा माननीय न्यायालयों में चुनौतियाँ भी दी गयी है।

अतः यदि आपके द्वारा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त शिथिलता पर आपत्ति/टिप्पणी की जा रही है तो यह आपत्ति अवर अभियन्ताओं पर भी लागू होती है।

यदि आपके द्वारा शिथिलीकरण पर रोक सम्बन्धी शासनादेश पर माननीय उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 23.03.2018 पर टिप्पणी की जा रही है तो यह माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों से स्पष्ट है कि आपका आरोप असत्य, निराधार व बेबुनियाद होने के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित आदेशों के प्रतिकूल होने के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में भी आता है, जिसके लिए आपको माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति की गयी प्रतिकूल टिप्पणी के लिए माननीय उच्च न्यायालय के प्रति तीन दिन के अन्दर क्षमा याचना प्रकट करनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में प्रबन्धन को केन्द्रीय महासचिव के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना वाद योजित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

क्रमशः- 07

(51)

		एसोसिएशन द्वारा इस तरह दूसरे संवर्ग के हित लाभों के प्रति नियम विरुद्ध एवं विवादास्पद आरोप–प्रत्यारोप से कारपोरेशन में कार्यरत कार्मिकों/संवर्गों में वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होगी, जो कि उचित परिपाटी नहीं है, जिससे कारपोरेशन में औद्योगिक आशान्ति उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः प्रबन्धन का सुझाव है कि इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियों एवं असत्य व निराधार आरोप–प्रत्यारोपों से बचने का प्रयास करें।
6.	आपने ऐसोसिएशन को यह भी बहाना बताया कि अवर अभियन्ताओं की कमी है इसलिए अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति नहीं की जा रही है। जबकि सत्य यह है कि अधिकांश प्रोन्नति हेतु पात्र अवर अभियन्ता के पास सहायक अभियन्ता का प्रभार है। केवल सहायक अभियन्ता का चार्ज सर्टिफिकेट भरा जाना है।	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही विभिन्न वाद माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल/लोक सेवा अधिकरण में लम्बित होने के कारण नहीं की जा सकी है। साथ ही उच्च पद का प्रभार दिया जाना प्रबन्धन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। प्रबन्धन कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अगले उच्च पद का प्रभार देने हेतु सक्षम है।
7.	प्रभारी व्यवस्था में भी वरिष्ठ को छोडकर कनिष्ठ को प्रभार दिया गया है।	
8.	श्री अभिनव रावत सहायक अभियन्ता जो कि बहुत कनिष्ठ हैं उन्हें पौड़ी में अधिशासी अभियन्ता का प्रभार वर्ष 2016 से अब तक दिया गया है।	
9.	क्षेत्रों में अवर अभियन्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है।	एसोसिएशन द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः एसोसिएशन का कथन असत्य एवं निराधार है।

आपका ध्यान पुनः आकृष्ट कराना है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्य बहिष्कार विषयक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिक 115/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 में माननीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक हड़ताल निषिद्ध की गयी है साथ ही अवैधानिक हड़ताल में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों पर "काम नहीं तो वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसकी प्रति आपको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालनार्थ कारपोरेशन के पत्रांक 222–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 22.01.2019 द्वारा प्रेषित की गयी है।

इसके साथ ही आप एवं आपकी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि कारपोरेशन का कार्य अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है, जिस कारण कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के प्राविधान लागू होते हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय पाँच के अनुच्छेद 22 एवं 23 के प्राविधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के क्रम में आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपनी एसोसिएशन के दिनांक 11.07.2019 से कारपोरेशन मुख्यालय पर किए जा रहे अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, अन्यथा की स्थिति में आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उक्त संदर्भित प्राविधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 की अवहेलना मानते हुए आपकी एसोसिएशन एवं सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कारपोरेशन को बाध्य होना पडेगा, जिसके लिए आप एवं आपकी एसोसिएशन के अवैधानिक आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारी/सदस्य स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

<u>संलग्नक :– माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दि0 23.03.18 की छायाप्रति।</u>

भवदीय,

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

क्रमशः– 08

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष 0135–2763672–75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2769771

(42)

पत्रांक 2358 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/औ0सं0/उ0पा0जू0ई0ए0 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सीनियर एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन/मानव संसाधन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

16-07-19

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 0135–2763672–75 एक्स0 न0 130 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001 Tel. 0135-2763672-75 Ext. No. 130 Fax: 91-135-2769771

(42)

एकता! विकास! संघर्ष!

–: सत्यमेव जयते :–

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

132 के0 वी0 सब स्टेशन माजरा, जिला -- देहरादून।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या 277

अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्ध

पत्रांक 3159 / उ.पा.जू.इ.ऐ. / No. 7229 / MD/ DL 15/7/2019 दिनांक 15. 07. 2019

निदेशक (मा०सं०)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

शहीद गबर सिंह भवन, कांवली रोड, देहरादून।

विषय : अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति में अनावश्यक अडंगा लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अत्यन्त विनम्रता के साथ पुनः आपके संज्ञान निम्न तथ्यों को लाना है :–

1. उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता, अपील संख्या 20 वर्ष 2009 के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय की डबल बैन्च द्वारा दिनांक 09 मई 2012 को दिये गये आदेश के अनुपालन में बनायी गयी है।

2. पुनः मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 875 वर्ष 2017 के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2019 को दिये गये आदेश के बिन्दु 8 के अनुसार

   " So far as the relief No.(1) is concerned, where the challenge is given to the seniority list of dated 21.8.2012 passed by respondent no. 3 in relation to respondent nos 4 to 59 by filing the writ petition at a belated stage after almost five years .... For relief no.(1), the **writ petion would stand dismissed** on account of the availability of an alternative remedy.

   दिनांक 21 अगस्त 2012 को निर्गत अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची को निरस्त नहीं किया गया है अतः यदि नियमों के अनुपालन में आवश्यक हो तो मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 875 वर्ष 2017 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 से 59 के मध्य वरिष्ठता में संशोधन निर्गत किया जा सकेगा।

3. मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 875 वर्ष 2017 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 से 59 के नाम दिनांक 21 अगस्त 2012 को निर्गत अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 227 से क्रमांक 282 पर अंकित हैं। अतः दिनांक 21 अगस्त 2012 को निर्गत अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 226 तक कोई परिवर्तन मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना होगी।

4. दिनांक 21 अगस्त 2012 को निर्गत अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची क्रमांक 199 तक के अवर अभियन्ता प्रोन्नत हो चुके है।

5. दिनांक 21 अगस्त 2012 को निर्गत अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची क्रमांक 199 से 226 तक के अवर अभियन्ता की प्रोन्नति वर्तमान वरिष्ठता सूची के अनुसार होनी है। प्रोन्नति के पद इससे कम है।

15/7/19

(५५)

जहाँ तक आपने निर्विवादित होने की शर्त रखी है वह निगम की दूषित कार्यप्रणाली में संभव ही नहीं है। कृप्या संज्ञान लें कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति भी विवादित है और तीनों निगमों में अधिकतम प्रोन्नति मा0 न्यायालय में चल रही याचिकाओं के प्रतिबन्धाधीन की गयी है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि तत्काल अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

आदर सहित।

5714
डायरी सं..........
दिनांक....16/07/19

भवदीय

(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय महासचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तत्काल निष्पक्ष कार्यवाही हेतू प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें।

1. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड देहरादून।
3. सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड देहरादून।
4. समस्त पदाधिकारी उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन।

(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय महासचिव

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

महाप्रबन्धक (मा.स.)(प्रभारी)
उप मुख्य का.अधि.(औ.सं.)/(मा.सं.-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी / सु. कोमल सहा.अभि.
सहा. लेखाधिकारी (मा.सं.)
श्री सुमित / श्री राजेश. का.अधि.
कैम्प कार्या.-निदे.(मा.सं.)
कृपया दि. 16/7/19 को ..... बजे चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें

निदेशक (मा.सं.) 16/7/19

Rec on 16/07/19

एकता!   विकास!   संघर्ष! (45)

:- सत्यमेव जयते :-

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

132 के0 वी0 सब स्टेशन माजरा, जिला – देहरादून।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या 277

अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्ध

पत्रांक 3158 /उ.पा.जू.इ.ऐ. /   No.7132/ MD/ U-I Dt.11/7/2019   दिनांक 5. 07. 2019

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

शहीद गबर सिंह भवन, कांवली रोड, देहरादून।

विषय : अवर अभियन्ता संवर्ग के साथ किये जा रहे पक्षपात एवं उत्पीड़न के विरोध में आन्दोलन की सूचना।

महोदय,

अत्यन्त विनम्रता के साथ पुनः आपके संज्ञान में लाना है कि अवर अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ता संवर्ग से प्रोन्नत अधिकारीयों के साथ निगम प्रबन्धन की द्वेष भावना के कारण किये जा रहे पक्षपात एवं उत्पीड़न के कारण अवर अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ता संवर्ग से प्रोन्नत अधिकारीयों में गम्भीर रोष व्याप्त हो रहा है एवं वर्तमान निगम प्रबन्धन से असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही हैं।

कृपया निम्न तथ्यों को संज्ञान लेने की कृपा करें।

1. उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता पद तक प्रोन्नति की जा चुकी है। कार्यालय कर्मचारी एवं लेखा संवर्ग के कार्मिकों की प्रोन्नति की जा चुकी है।
2. आपके द्वारा एसोसिएशन से पहले कहा गया कि सचिव ऊर्जा के स्तर से अनुमति आवश्यक है और वह नहीं मिल पा रही है इसलिये अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति नही हो पा रही है।
3. दिनांक 15 मार्च 2019 को सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन द्वारा आपको निर्देश दिये गये तब आपने उन्हे अवगत कराया कि राजस्व वसूली का पीक समय चल रहा है उसके बाद प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. उसके पश्चात आपने ऐसोसिएशन के पदाधिकारीयों को अवगत कराया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद आदेश निर्गत किये जायेंगे।
5. आपके द्वारा एक ओर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश को धता बताते हुये शिथलीकरण देते हुये लेखा संवर्ग में प्रोन्नति कर दी गयी दूसरी ओर उत्तराखण्ड शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद आपने अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति की पत्रावली अपने स्तर पर रोकी हुयी है।
6. आपने ऐसोसिएशन को यह भी बहाना बताया कि अवर अभियन्ताओं कि कमी है इसलिये अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति नही कि जा रही है। जबकि सत्य यह है कि अधिकांश प्रोन्नति हेतू पात्र अवर अभियन्ता के पास सहायक अभियन्ता का प्रभार है। केवल सहायक अभियन्ता का चार्ज सर्टिफिकेट भरा जाना है।
7. प्रभारी व्यवस्था में भी वरिष्ठ को छोड़कर कनिष्ठ को प्रभार दिया गया है।

11/07/2019

[redacted]

(46)

8. श्री अभिनव रावत सहायक अभियन्ता जो कि बहुत कनिष्ठ हैं उन्हे पौडी में अधिशासी अभियन्ता का प्रभार वर्ष 2016 से अब तक दिया गया है।
9. क्षेत्रों में अवर अभियन्ताओं का उत्पीडन किया जा रहा है।

उपरोक्त समस्त तथ्य यह स्पष्ट कर रहे हैं कि निगम प्रबन्धन की द्वेष भावना के कारण अवर अभियन्ता संवर्ग के साथ पक्षपात एवं उत्पीडन किया जा रहा है दूसरी ओर प्रोन्नति के लिये पात्र होते हुये भी मनमानी प्रभारी व्यवस्था चलाना भ्रष्टाचार हेतू विवश करने की कार्यवाही है।

अतः न्याय प्राप्ति हेतू उत्तराखण्ड सरकार एवं शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतू उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के सदस्य सांकेतिक रूप से दिनांक 11 जुलाई 2019 से साथं 5.30 बजे से प्रतिदिन एक घण्टा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के मुख्यालय पर सांकेतिक सत्याग्रह करेंगे।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि तत्काल निष्पक्ष कार्यवाही करने की कृपा करें।
आदर सहित।

डायरी सं० 4612
दिनांक 12/07/19

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय महासचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तत्काल निष्पक्ष कार्यवाही हेतू प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें।

1. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड देहरादून।
3. सचिव ऊर्जा , उत्तराखण्ड शासन उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड देहरादून।
4. समस्त पदाधिकारी उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन।

(हस्ताक्षर)
(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय महासचिव

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्रभारी)
उप मुख्य का०अधि०(अ०स०)/(मा०सं०-I/II)
श्रीमती मीनाक्षी / सु० कोमल सहा० अभि०
सहा० लेखाधिकारी (मा०सं०)
श्री सुमित / श्री राजेश का०अधि०
कैम्प कार्या०-निदे०(मा०सं०)
कृपया दि.......... को..... बजे चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
(हस्ताक्षर) 12/7/19
निदेशक (मा०सं०)

12/7/19

(47)

उत्तरांचल पावर इन्जीनियर्स एसोशिएसन

(पंजीकरण संख्या 796/2000-01)(ऊर्जा भवन, कॉवली रोड, देहरादून)

पत्राचार–विद्युत अभियन्ता भवन, 1, टर्नर रोड़ देहरादून

ई0 मुकेश कुमार महासचिव मो0–9837425873 Email- mukesh.haldia@gmail.com	ई0 वाई0 एस0 तोमर अध्यक्ष मो0–9412073714 Email- ystomarupcl@rediffmail.com

पत्रांक– 52 /महासचिव/ UPEA 2018 दिनांक : 11/07/2019

विषयः– **मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित वाद संख्या 01/NB/DB/2017 (राहुल चानना बनाम यू0पी0सी0एल0) में दिनांक 22.05.2019 को पारित आदेश।**

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

महोदय,

आपका ध्यान मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित वाद संख्या 01/NB/DB/2017 (राहुल चानना बनाम यू0पी0सी0एल0) में दिनांक 22.05.2019 को पारित आदेश पर आकृष्ट करना है:–

"The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority, within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioners in accordance with the provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken."

उपरोक्त आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि जब तक सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूचि का निर्धारण अन्तिम रूप से नही हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की पदोन्नति नही की जाये। इससे स्पष्ट है कि मा0लो0 सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार किसी भी अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नति की कार्यवाही नही की जाये।

इसी क्रम में कारपोरेशन के आदेश संख्या 1385 दिनांक 16.05.2018 को अन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर हुई पदोन्नति को भी निरस्त किया जाना उपरोक्त मा0 लो0से0 अधिकरण के आदेशानुसार होगा। इसके अतिरिक्त मा0लो0से0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के प्रस्तर संख्या 25 मे वर्णित किया है कि–

"This court finds that without complying the requirement of regulation 15, 17 & 19 the appointments of private respondents were made effective on 30-06-2009 i.e last day of the recruitment year, whereas, the petitioners joined their services in the month of December, 2009 as their appointment was made separately, later in time, although the vacancies were of the previous selection year i.e. 2008-09"

इस टिप्पणी से दो तथ्य एकदम स्पष्ट है:–

a) सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का चयन वर्ष 2008–09 है।

12/7/19 M.D. U.P.C. Ltd. Dehradun

(49)

उत्तरांचल पावर इन्जीनियर्स एसोशिएसन

(पंजीकरण संख्या 795/2000-01)(ऊर्जा भवन, कॉवली रोड, देहरादून)

पत्राचार–विद्युत अभियन्ता भवन, 1, टर्नर रोड देहरादून

ई0 मुकेश कुमार
महासचिव
मो0–9837425873
Email-
mukesh.haldia@gmail.com

ई0 वाई0 एस0 तोमर
अध्यक्ष
मो0–9412073714
Email-
ystomarupcl@rediffmail.com

b) पदोन्नति हेतु कार्यवाही तथा ज्येष्ठता में रेगुलेशन 15 एवं 17 का अनुपालन नही किया गया है।

उपरोक्त आदेशानुसार दिनांक 30.06.2009 को हुई पदोन्नतियों में 1970 *Regulations* के प्रस्तर 15 एवं 17 का अनुपालन नही किया गया है। अतः अनन्तिम वरिष्ठता सूची में चयन वर्ष 2008–09 के क्रम संख्या 14 से 56 में उल्लिखित अभियन्ताओं को चयन वर्ष 2008–09 की वरिष्ठता देना नियम विरूद्ध है।

अतः आप से विनम्र निवेदन है कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची के निर्धारण किये बिना कोई भी पदोन्नति नही करी जाये एवं पूर्व में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर कारपोरेशन के आदेश संख्या 1385 दिनांक 16.05.2018 द्वारा की गई पदोन्नतियों को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद

ई0 मुकेश कुमार
(महासचिव) D/C

पत्रांक– 52 /महासचिव/ UPEA 2018 दिनांक : 11/07/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1- मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून

2–सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

D/C

ई0 मुकेश कुमार
(महासचिव)

I. P. GAIROLA
Advocate
Lawyers Chamber No. -61
High Court of Uttarakhand
At Nainital
Mobile No. 9760320766

Ref. Notice *Dated: 12.7.2019*

To,

The Managing Director,
Uttarakhand Power Corporation Limited,
Urja Bhawan, Kanwali Road,
Dehradun.

Sir,

Under the instruction from my client Sri Biram Pal Singh S/o Shambhu Prasad, Gali No. -13, Krishna Nagar, Roorkee, District – Haridwar. I serve upon you the following notice :-

1. That my aforesaid client is at present employed as Junior Engineer and is posted at Rishikesh.

2. That the Writ Petition No. 875/ 2017 (S/S) (Ashok Kumar and others Vs. State of Uttarakhand and others) which was decided vide order dated 24.4.2019 ——— was served in your office on 20.5.2019.

3. That my aforesaid client was the petitioner no.-2 in the aforesaid writ petition and it is hereby informed to you that the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital has directed you to declare the inter-se seniority list of the petitioners vis-à-vis direct recruited Junior Engineers (Respondent No. 4 to 59). The period of six weeks has expired on 01.7.2019.

4. That till date you have not declared the seniority list as directed by the Hon'ble High Court in the aforesaid writ petition and it means the contempt under the Contempt of Courts' Act.

5. That it may also be noted that the seniority list has to be declared while keeping in mind the Regulation 5 (b) of the Subordinate Electrical and Mechanical Engineering Service Regulation, 1972. Further it may be noted that the same controversy of the direct recruited Assistant Engineers to give them seniority only after the completion of one year of training has been decided in Claim Petition No. 01/ NB/ DB of 2005 and it was held that the seniority to the direct recruited Assistant Engineers shall be given only after the completion of one year training as Assistant Engineers (Trainee). This judgment and order passed by the Public Service Tribunal is under challenge before the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital but the same has not been stayed and, therefore, as such this judgment of the Public Service Tribunal prevails. In case the seniority to the direct recruited Junior Engineers is to be seen, in the analogy of the aforesaid judgment. The Public Service Tribunal clarified that the direct recruits shall be kept in the seniority of the cadre only after completion of one year training as Assistant Engineer (Trainee).

6. That in case, in the light of the above, you do not declare the inter-se seniority list of the petitioners vis-à-vis direct recruited Junior Engineers (Respondent nos.- 4 to 59) within a period of 15 days from today, my aforesaid client shall be free to prefer the contempt proceeding against you before the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital under the contempt of the Courts Act, that too at your cost and risk.

Thanking you.

Yours faithfully

(I. P. Gairola)

Advocate

आनन्द बहुगुणा
विशेष कार्याधिकारी
मा. मुख्यमंत्री- उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001
फोन : 0135-2752144
फैक्स : 0135-2751545

संख्या- 455/मा०मु०मं०आ०का०/2012
दिनांक 04 दिसम्बर/2012

श्री ए०के०जौहरी,
प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

आवती सं० 9318
दिनांक 12/12/12

श्री राकेश शर्मा एवं अन्य, 75/2, राजपुर रोड, देहरादून का पत्र दिनांक–03.12.2012 मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित है। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा ऊर्जा निगम के विभिन्न अभियन्ता, (सेवानिवृत्त/कार्यरत) की वरिष्ठता एवं अन्य देय लाभ के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए उक्त का अनुपालन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करते हुए उक्त कार्मियों की वरिष्ठता निर्धारित करते हुए देय लाभ शीघ्र प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है तथा कृत कार्यवाही से मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

No. 9161/MD/V-2 Dt: 6/12/2012

निदेशक (मा०सं०)

(आनन्द बहुगुणा)

DGM (IR)

SAO

14-12

14-XII-12

(52)

...श शर्मा

25/2 राजपुर रोड, देहरादून

(उत्तराखण्ड)

9837466299

प्रबन्ध निदेशक : होटल राज डीलक्स, राजपुर रोड, उपाध्यक्ष : पर्वतीय तकनीकी उत्थान एवं अनुसंधान विकास संस्था (रजि.), कोषाध्यक्ष : नन्ही दुनिया मूक बधिर विद्यालय कालीदास रोड, सदस्य कार्यकारिणी : बालिका शिक्षा सदन उच्च प्रा0 विद्यालय, आजीवन सदस्य : डी0डी0एस0ए0, आजीवन सदस्य : देहरादून क्लब लिमिटेड, पूर्व अध्यक्ष : लॉयन्स क्लब प्रगति, पूर्व अध्यक्ष : उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन (गढ़वाल जोन), पूर्व उपाध्यक्ष : मसूरी देहरा विद्युत कर्मचारी संघ, पूर्व उपाध्यक्ष : उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन, पूर्व सचिव : योग वेदान्त समिति, पूर्व चेयरमेन : गढ़वाल होटल्स प्रा0 लि0, सेवा निवृत्त : अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0

दिनांक 3-12-12

पत्रांक......................

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री

उत्तराखंड

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय एवम उच्च न्यायालय के आदेशो का पालन न करते हुए प्रार्थियो का शोषण किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल को दिशा निर्देश दिये कि हमारी वरिष्ठता निर्धारित करें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने पावर कारपोरेशन द्वारा बनाई गयी दिनांक 16.12.2008 की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया और अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि सर्वप्रथम 1977,1979,1985, 2002 का वरिष्ठता क्रम रखते हुए वरिष्ठता सूची बनाई जाये। परन्तु पावर कारपोरेशन ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए पुनः पुरानी निरस्त सूची को ही प्रचारित कर दिया एवं हमारी पदोन्ति एवं जो लाभ न्यायालय ने हमे प्रदान किए थे हम तक नही पहुचने दिये हमने दिनांक 14/05/2012 को न्यायालय के आदेश सर्विस करा दिये थे परन्तु आज तक कोई कारवाई नही हुई हैं।

आप मुख्यमंत्री के अतिरिक्त एक वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहे है इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमे न्यायालय द्वारा प्राप्त लाभों को दिये जाने के लिए उर्जा भवन के प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक मानव संसाधन को आदेशित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

AK Johari
3-12-12

प्रार्थी

राकेश शर्मा एवम अन्य

याचीकर्ता

संलग्नक :

1. छाया प्रति आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 3-08-2011
2. छाया प्रति आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 23-01-2012
3. छाया प्रति आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल दिनांक 09-05-2012

0/L

(52)

प्रेषक:—

दिनांक: 14—05—2012

राकेश शर्मा एवं अन्य
75/2, राजपुर रोड,
देहरादून।

प्रेषित:—

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
उर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून।

निदेशक
मानव संसाधन
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
उर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून।

महोदय,

आपको अवगत कराना है Special Appeal No.20 of 2009 में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये दिनांक 09—05—2009 के निर्णय की एक सत्यापित छायाप्रति आपको सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र सम्बन्धित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी करने की कृपा करें जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान/समयबद्ध वेतनमान एवं पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड को दिये गये निर्देशों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:—

1. छायाप्रति आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली दिनांक 3—8—2012
2. छायाप्रति आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली दिनांक 23—1—2012
3. छायाप्रति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल दिनांक 9—5—2012

प्रार्थी,

आर0 के0 शर्मा
J.E.(Retd.)

एस0 पी0 जुयाल
S.D.O.

एल0एस0 असवाल
S.D.O.(Retd.)

डी0 एस0 पंवार
J.E.

डी0 आर0 मिश्रा
S.D.O.

कुँवर सिंह असवाल
एवं अन्य S.D.O.

14/5/2012
M.D.
U.P.C.L.
Dehradun

उर्जा भवन